शिक्षा की प्रगति

१९६२-६३

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

भाग–1

(सामान्य शिक्षा)

1972-73

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
1—सामान्य पर्यवेक्षण	1–2
2—प्राथमिक शिक्षा	3–6
3—पूर्व माध्यमिक शिक्षा	7–8
4—उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	9–13
5—उच्च शिक्षा	14–16
6—विविध	17–19
7—विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां	20–21
8—1973–74 के कार्य-क्रम की संक्षिप्त रूप-रेखा	22

अध्याय 1
सामान्य पर्यवेक्षण

1.1—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश के इतिहास में कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण विशेष रूप से स्मरणीय रहेगी।

1.2—विगत कई वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में सेवा सम्बन्धी नियमों में सुधार के लिये विशेष असंतोष व्याप्त था। उनको विभाग द्वारा निर्धारित वेतन-क्रम के अनुसार वेतन नहीं मिलते थे। उनकी सेवाओं के स्थायीकरण में किसी नियम का पालन सामान्य रूप से नहीं हो पाता था, जो प्रबन्धक की स्वेच्छा पर निर्भर था। उनको योग्यता के अनुसार वेतन-क्रम प्रायः नहीं मिल पाता था। उनकी सेवा दशाओं में सुधार हेतु वर्ष 1971-72 में शासन ने अध्यादेश प्रख्यापित किया और बाद में अनुभव के आधार पर अध्यादेश की त्रुटियों को दूर कर अधिनियम के द्वारा अगले मास की 20 तारीख तक प्रदेश के सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन देने का दायित्व शासन ने अपने हाथ में ले लिया। माध्यमिक शिक्षक वर्ग की सेवादशा में सुधार का यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पग था जिसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी एवं व्यापक होगा। सेवा की सुरक्षा एवं नियमित समय से वेतन पाने की इस व्यवस्था से चिन्तामुक्त होकर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक अब अपने कर्तव्य पालन में तत्पर रहेंगे। इसका वांछनीय प्रभाव अध्यापन के स्तर पर अवश्यम्भावी होगा। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के साथ प्रारम्भिक विद्यालयों की कार्यकुशलता बढ़ेगी। औद्योगिक, व्यावसायिक-एवं टेकनिकल शिक्षा के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों की संख्या एवं योग्यता में वृद्धि होगी। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करके नौकरी अथवा अन्य व्यवसाय में लग जाने वाले युवकों की कार्यक्षमता का विकास होगा। इस प्रकार यह अत्युक्ति न होगी कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को वेतन वितरण सम्बन्धी अधिनियम उत्तर प्रदेश की शिक्षा के इतिहास में क्रांतिकारी युग का सूत्रपात करेगा।

1.3—उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है जिसकी जनसंख्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों से अधिक है। इस विशाल राज्य की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ है। जनसंख्या के अनुपात के अनुसार स्कूल जाने वाले वय वर्ग के छात्र और छात्राओं की संख्या भी भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक होगी। कोठारी शिक्षा आयोग ने अनुमान किया था कि भारत में 18 वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या की प्रायः आधी होगी। यदि हम मान लें कि उत्तर प्रदेश में भी स्कूल जाने वाले योग्य बालक और बालिकाओं की संख्या उसी अनुपात में होगी तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं की संख्या वर्ष 1971 में साढ़े चार करोड़ होगी। इस विराट संख्या के अधिकांश छात्र और छात्रायें उन परिवारों से आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति की आय जीने के लिये आवश्यक न्यूनतम आय से भी कम है। इस विशाल छात्र संख्या तथा उसके लिये आवश्यक शिक्षक समुदाय की सुव्यवस्था के लिए शासन द्वारा वर्ष 1972-73 में शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक) तथा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के पदों का सृजन किया गया। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के सुप्रबन्ध के लिये बेसिक शिक्षा परिषद् भी गठित कर दी गयी है जिसमें प्रदेश के बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञों का चयन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रभावी पग उठाये जायेंगे। बेसिक शिक्षा के सुप्रबन्ध हेतु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उनको अपना कर्त्तव्य सम्पादित करने के लिये स्वतंत्र

अधिकार दे दिये गये हैं। इससे प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास की आशायें बलवती हो गयी ह और महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा की संकल्पना के साकार होने का प्रभात सन्निकट आ गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश उस चिर प्रतीक्षित प्रभात के आगमन का संकेत कर रहा है जिसके लिये गोखले तथा गांधी जीवन भर सतत् प्रयत्न करते रहे।

1.4—भारतवर्ष में संस्कृत भाषा का विकास राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक विकास के लिए अनिवाय है क्योंकि संस्कृत भाषा और साहित्य ही भारतवर्ष की अधिकांश भाषाओं का उद्गम है। इस तथ्य को शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी और वतमान वित्तीय वर्ष में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) का पद सृजित कर दिया गया। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत के माध्यम से प्रायः सभी आधुनिक विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है। संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा मानदेय प्रदान करने का भी प्राविधान चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में किया गया है।

1.5—उत्तर प्रदेश के अल्प-संख्यकों में उर्दू शिक्षा हेतु वर्षों से मांग हो रही थी। चतुर्थ योजना में उर्दू भाषा की शिक्षा एवं सुव्यवस्था के लिये उप शिक्षा निदेशक (उर्दू) के पद का भी सृजन किया गया। इस कार्य हेतु उर्दू एकेडेमी गठित की गयी है। उर्दू पुस्तकों की रचना एवं प्रकाशन के लिये भी आर्थिक व्यवस्था कर दी गयी है। सीनियर बेसिक स्कूलों में उर्दू भाषा के अध्यापकों की नियुक्ति के लिये अनुदान स्वीकृत कर दिये गये हैं। उत्तर प्रदेश के उर्दू भाषी अल्प-संख्यकों की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो महत्वपूर्ण पग उठाये गये हैं उनसे अल्प-संख्यकों में सन्तोष की लहर व्याप्त हो गयी है।

1.6—उत्तर प्रदेश सरकार ने चतुर्थ योजना में बालिका शिक्षा के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण व्यवस्था कर दी है। बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु विशिष्ट कार्य-क्रम चलाये गये हैं। जनपद में बालिका शिक्षा की देख-रेख के लिये जिला विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति प्रारम्भ कर दी गयी है। जिला तथा ब्लाक स्तर पर निरीक्षिकाओं की नियुक्ति अधिकाधिक संख्या में की गयी है। इन कार्य-क्रमों का प्रभाव बालिकाओं की शिक्षा को व्यापक तथा प्रगतिशील बनाने में निःसन्देह उपयोगी सिद्ध होगा।

1.7—आधुनिक युग में विज्ञान की प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश को भी अग्रसर रखने के लिए शासन जागरूक रहा है। विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिये राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इस संस्थान के तत्वाधान में विज्ञान के अध्यापकों के पुनर्शिक्षण एवं विज्ञान के छात्रों के प्रोत्साहन हेतु कई उपयोगी योजनायें चलायी गयी हैं। विज्ञान के पाठ्यक्रम को समुन्नत एवं आधुनिकतम रूप देने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक (विज्ञान) तथा उप शिक्षा निदेशक (विज्ञान) के पदों पर सुयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गयी है।

1.8—शिक्षा क्षेत्र में प्रतिदिन बढ़ते हुए कार्यभार के समुचित सम्पादन एवं उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिये प्रदेश के शिक्षा निदेशालय को तीन निम्नलिखित पृथक-पृथक विभागों में पुनर्गठित कर दिया गया है:—

1—उच्च शिक्षा निदेशालय,
2—माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
3—प्राथमिक शिक्षा निदेशालय।

1.9—उत्तर प्रदेश के शिक्षा इतिहास में ऊपर लिखित कार्य युगान्तरकारी हैं। यद्यपि इनका मूल्यांकन करने के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता है तथापि इसमें सन्देह नहीं कि इनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की प्रगति पर दूरगामी होगा। ये भारत के अन्य राज्यों के लिये प्रकाश स्तम्भ सिद्ध होंगे। ऐसे युग परिवर्तनकारी पग सदियों में एक दो बार ही उठाये जात हैं। इन दृष्टियों से आख्यागत वर्ष 72-73 उत्तर प्रदेश के शिक्षा के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगा।

अध्याय 2

प्राथमिक शिक्षा

2.1—देश की स्वतंत्रता के पश्चात् सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये प्राइमरी स्कूलों को खोलने तथा छात्रों तथा छात्राओं को इन स्कूलों में प्रविष्ट कराने के लिये अभियान चलाये गये। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्त की 45वीं धारा के अनुसार सावभौम एवं निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं में प्राइमरी स्कूलों को खोलने के लिये भूमि एवं भवन हेतु सर्वेक्षण तथा जन सहयोग प्राप्त करने के लक्ष्य से शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जन सम्पर्क की योजनायें चलाई गयीं। पाठशाला प्रबन्ध समिति एवं अध्यापक-अभिभावक संघ गठित किये गये। इनके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राइमरी स्कूलों में अभूतपूर्व संख्यात्मक वृद्धि हुई। संख्यात्मक वृद्धि के इस अभियान में भारत के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश भी अग्रसर रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार स्कूलों में संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक विकास के भी कार्यक्रम चलाये गये। प्रशिक्षण एवं निरीक्षण का स्तर ऊंचा उठाने के लिये प्रारम्भिक प्रशिक्षण विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया। तीसरी योजना काल में प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं पर शोध एवं प्रकाशन के लिये राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित हुआ। इस प्रकार चतुर्थ योजना के प्रारम्भ से प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक विकास के कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा।

2.2—पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राइमरी स्कूलों की संख्या में वृद्धि का अनुमान नीचे की तालिका से लग जाता है:—

तालिका-1

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में प्राइमरी शिक्षा की प्रगति

		मार्च 51	मार्च 56	मार्च 61	मार्च 66	मार्च 69
प्राइमरी स्कूल	..	31,979	31,898	40,083	60,243	69,949
अध्यापक	..	70,299	77,575	99,054	1,68,577	2,00,237
छात्र संख्या	..	27,27,123	27,37,827	39,58,828	87,88,105	99,23,339

इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्राथमिक विद्यालय खोलने और 2,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति तथा नगर क्षेत्रों में 10 प्राथमिक विद्यालय खोलने और 100 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति का प्राविधान किया गया है। छात्र संख्या में 1.23 लाख की अतिरिक्त वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजनान्तर्गत 6,100 अध्यापकों की नियुक्ति का भी प्राविधान है। 280 स्कूल माताओं की नियुक्ति मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में की जायगी।

2.3—पंचवर्षीय योजनाओं में स्कूल खोलने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति भी अधिक संख्या में अनिवार्य थी। फलतः अदीक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ी। अतः शिक्षा के स्तर

को ऊंचा रखने के लिये प्रशिक्षण विद्यालय भी खोले गये। पहली, दूसरी तथा तीसरी योजनाओं में खोले गये प्राइमरी प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या में वृद्धि नीचे की तालिका से विदित हो जाती है :—

तालिका—2

उत्तर प्रदेश के प्रारम्भिक प्रशिक्षण (बी० टी० सी०) विद्यालयों में वृद्धि

वर्ष		1951	56	61	66	69	मार्च72
प्रशिक्षण विद्यालय	..	133	95	154	216	319	261
अध्यापक	..	605	795	1,496	1,739	2,170	2,112
छात्र अध्यापक संख्या	..	15,805	5,807	13,571	24,425	24,535	29,812

प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में इस समय पुरुषों के 122 और महिलाओं के 37 राजकीय दीक्षा विद्यालय हैं जिनमें बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों को 60, महिलाओं की 9 कक्षायें हैं जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न हैं।

उत्तर प्रदेश में आलयागत वर्ष में 12 सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इनमें 10 केन्द्र अध्यापकों के लिये तथा 2 केन्द्र अध्यापिकाओं के लिये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में अदीक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में इस समय प्रारम्भिक स्तर पर विस्तार सेवा केन्द्र चल रहे हैं। इनके द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों को नवीन प्रशिक्षण विधियों से अवगत कराया जाता है।

भारत के अन्य राज्यों के समान उत्तर प्रदेश के लिये इलाहाबाद में राज्य शिक्षा संस्थान तीसरी योजनाकाल में स्थापित किया गया। इस संस्थान में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, निरीक्षिकाओं तथा प्रारम्भिक प्रशिक्षण विद्यालयों के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

2.4—प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर की सतत् उन्नति रखने के लिये निरीक्षकों एवं निरीक्षिकाओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इसका अनुमान नीचे की तालिका से हो जाता है :—

तालिका—3

निरीक्षक/निरीक्षिकायें					संख्या
जिला विद्यालय निरीक्षक श्रेणी 1		..	..	..	35
जिला विद्यालय निरीक्षक श्रेणी 2	..	..	..	..	19
सह जिला विद्यालय निरीक्षक	..	..	..	..	25
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	..	..	..	..	54
जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका		..	..	..	4
उप विद्यालय निरीक्षक	..	..	..	..	54
उप विद्यालय निरीक्षिका	..	..	..	..	51
अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक	..	..	..	..	29
सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका		..	..	..	279 (10 पदों पर नियुक्ति 1972-73 में की गयी)
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	..	..	..	..	1089
स्टोर कीपर बालाहार योजनान्तर्गत		..	..	..	18

अध्यापक कल्याण कार्य

2.5—बढ़ती हुई महंगाई को दृष्टि में रखते हुए अध्यापकों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु शासन द्वारा अन्तरिम सहायता स्वीकृत की गयी है। उनके वेतन वृद्धि का प्रश्न वेतन आयोग के सामने विचाराधीन है। इन अध्यापकों के लिये लाभत्रयी योजना चलाई गयी है। उक्त योजना में परिवर्तन कर ग्रुप इन्शोरेन्स योजना चलाई गयी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अध्यापक अपने वेतन से रु० 2.50 पैसा कटा कर योजना का लाभ उठायेगा। उक्त धनराशि में से इन्शोरेन्स के मदों में प्रति वर्ष केवल रु० 8 प्रति अध्यापक जमा होगा और शेष रु० 22 प्रति वर्ष profit sharing निधि में जमा होगा जिस पर उन्हें ब्याज मिलेगा। इस प्रकार अध्यापकों को जो ग्रेच्युटी मिलती थी उससे अधिक धनराशि उन्हें प्राप्त हुआ करेगी। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये इनको नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। अध्यापकों को समाज में सम्मानित करने के लिये प्रति वर्ष चुने हुये कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

स्वावलम्बी स्कूल

2.6—असेवित क्षेत्रों में जहां प्राइमरी स्कूल की शिक्षा देने की सुविधा नहीं है ऐसे उत्साही व्यक्तियों को एकमुश्त अनुदान देने की भी योजना चलायी गयी है जो स्वयं विद्यालय खोलकर अध्यापन कार्य करते हैं। वर्ष 1971–72 में 236 स्वावलम्बी विद्यालयों को 71,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया। इस वर्ष 100 स्वावलम्बी विद्यालयों को 30,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जायगा।

उर्दू के अध्यापन की व्यवस्था

2.7—उत्तर प्रदेश के जिन प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है उनमें वर्ष 1969–70 में 843 और वर्ष 1970–71 में 229 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। वर्ष 1971–72 में उर्दू शिक्षा के प्रसार हेतु लगभग रु० 16,00,000 स्वीकृत किया गया था। इस वर्ष उर्दू शिक्षा के प्रसार हेतु रु० 18,18,000 का प्राविधान किया गया है।

उर्दू के विकास के लिये वर्ष 1971–72 में साहित्य, विज्ञान एवं कला की उपयोगी उर्दू की मौलिक पुस्तकों की रचना हेतु पुरस्कार देने की भी व्यवस्था की गयी।

पाठशाला भवन

2.8—ग्रामीण क्षेत्रों के 51 स्कूल भवनों का सुधार करने तथा भवन रहित 63 जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ इस वर्ष प्राविधान किया गया है।

बालिकाओं के लिये इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के 145 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूलों में पृथक शौचालयों के निर्माण हेतु रु० 43,500 का प्राविधान किया गया है।

प्रारम्भिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

2.9—उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के सुधार हेतु कई दशकों से विचारकों द्वारा मांग की जा रही थी। प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु आव्यागत वर्ष में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण घोषित कर दिया गया। प्रारम्भिक शिक्षा के लिये शिक्षा निदेशक की नियुक्ति कर दी गयी एवं बेसिक शिक्षा की राज्य परिषद् गठित की गयी। इस परिषद् में बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञ एवं अनुभवी प्रशासकों का चयन किया गया। प्रत्येक जनपद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद सृजित किये गये तथा उन पदों पर नियुक्ति भी कर दी गयी। शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर पर स्वतन्त्र अधिकार शासन द्वारा प्रदान कर दिये गये हैं जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन सुचारु रूप से एवं अबाध गति से कर सकें।

आख्यागत वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण शासन का महत्वपूर्ण पग है जिसका प्रभाव प्रारम्भिक शिक्षा के विकास पर दूरगामी होगा। इस दृष्टि से आख्यागत वर्ष उत्तर प्रदेश की शिक्षा के इतिहास में युगान्तरकारी माना जायगा।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972-73, 10 जुलाई, 1972 को प्रख्यापित किया गया। बाद में इसके आधार पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 पारित हुआ। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् स्थापित की गयी; इस परिषद् के आठ सदस्य होंगे। परिषद् का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

बेसिक शिक्षा निदेशक पदेन इस परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

राज्य में शिक्षा तथा उसके लिए अध्यापक प्रशिक्षण का संगठन, उसका समन्वय तथा नियन्त्रण और उसे राज्य की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली से परस्पर सम्बद्ध करना, परिषद् का कार्य होगा।

बेसिक शिक्षा के सुप्रबन्ध के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक समिति स्थापित की जायेगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त एक समिति स्थापित की जायगी जो गांव शिक्षा समिति कहलायेगी। गांव सभा के प्रधान इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यादेश, 1972 के अनुसार उत्तर प्रदेशीय बेसिक शिक्षा परिषद् 25 जुलाई, 1972 को गठित कर दी गयी है।

अध्याय 3

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

3.1--संख्यात्मक वृद्धि--विद्यालय, छात्र-संख्या एवं अध्यापक--भारतीय संविधान में यह घोषित कर दिया गया था कि 14 वर्ष तक के बालकों एवं बालिकाओं को सार्वभौम एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शासन का दायित्व होगा । इस दायित्व के अनुपालनार्थ प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूल खोले गये । प्राइमरी स्कूलों की छात्र संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप जूनियर हाई स्कूलों की मांग दूसरी योजना काल से बढ़ी । इस प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालय पर्याप्त संख्या में खोलने पड़े । साथ ही इन विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति करनी पड़ी । उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों से सम्बद्ध सीनियर बेसिक कक्षाओं में भी इस स्तर की शिक्षा दी जाती है ।

सीनियर बेसिक विद्यालयों में अभूतपूर्व वृद्धि का अनुमान नीचे की तालिका से हो जाता है :--

तालिका

1--उत्तर प्रदेश के सीनियर बेसिक स्कूलों की वृद्धि:--

वर्ष	1951	1956	1961	1966	1969
स्कूल	2,854	3,640	4,335	6,154	7,378
अध्यापक ..	14,305	19,996	23,259	35,867	44,481
छात्र संख्या ..	3,48,137	4,27,025	5,49,827	9,83,350	11,14,676

3.2--दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिये भी उपयोगी कार्यक्रम चलाये गये । सीनियर बेसिक स्कूलों की कक्षा 8 तक की हिन्दी, अंकगणित बीजगणित तथा रेखागणित की पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। यूनीसेफ युनेस्कों के एक कार्यक्रम के अनुसार विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम को राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान तथा राजकीय केंद्रीय अध्यापन प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में विकसित किया जा रहा है। जूनियर हाई स्कूलों की गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया गया है ।

प्राइमरी स्कलों तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के अध्यापकों को नवीनतम शिक्षण विधियों में पारंगत करने के लिये शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा निर्देशिका शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रकाशित की गयी जिसमें शिक्षण बिधियों के साथ पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर प्रमाणिक एवं पर्याप्त पाठ्य-सामग्री भी सुलभ कर दी गयी है । यह निर्देशिका विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है ।

3.3--बेसिक शिक्षा की संकल्पना को सीनियर बेसिक स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए पहले पंचवर्षीय योजना काल में सीनियर बेसिक स्कूलों के लिये पुनर्व्यवस्था योजना प्रारम्भ की गयी । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न शिल्पों का शिक्षण प्रदान करने के लिये पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया । विशेषतः कृषि एवं कताई बुनाई शिक्षा को पुनर्व्यवस्थित करने के लिये विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किये गये । विद्यालय को समुदाय के निकट लाने के लिये 2,200 युवक मंगल दल तथा 500 सामुदायिक केंद्र पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में खोले गये हैं ।

इन पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में लगभग 21,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इसमें से लगभग 15,000 एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी जा चुकी है, 8,000 एकड़ भूमि को सिंचाई के साधन दिये जा चुके हैं।

3.4—प्रशिक्षण—सीनियर बेसिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या निम्नवत है:—

		पुरुष	महिला	योग
1—राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज	..	4	—	4
2—अराजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज	..	1	—	1
3—राजकीय सी० टी० ट्रेनिंग कालेज	..	—	3	3
4—अराजकीय सी० टी० ट्रेनिंग कालेज	..	—	1	1
5—राजकीय गृह विज्ञान सी० टी० ट्रेनिंग कालेज	..	—	1	1
6—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	..	1	1	2
7—अराजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	..	2	—	2
योग	..	8	6	14

प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये वर्ष 1963-64 में राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया। इस संस्थान के द्वारा निरीक्षकों एवं बी० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों के शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

3.5—पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 1972-73 में बालकों के 100 तथा बालिकाओं के 97 सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये तथा 1,010 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। जहां बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोलना संभव नहीं है वहां क्रमोत्तर कक्षायें खोलकर इस स्तर की शिक्षा सुलभ की जाती है। इस वर्ष 40 क्रमोत्तर कक्षायें खोली गयीं। सहायता न पाने वाले 85 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया। स्थानीय निकायों एवं निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित 50 सीनियर बेसिक स्कूलों में सामान्य विज्ञान विषय का समावेश किया गया। 10 उच्च आधारिक विद्यालयों में कृषि शिक्षा का सुधार किया गया। इस स्तर पर निर्धन छात्राओं के लिये 87 विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकालय की व्यवस्था की गयी। जिन क्षेत्रों में कोई विद्यालय नहीं है वहां नये खुले हुये 71 उच्च आधारिक विद्यालयों को एडहाक अनुरक्षण अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु रु० 20,000 की व्यवस्था की गयी है। इस स्तर पर विद्यालयों के निरीक्षण हेतु 7 अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की गयी।

अध्याय 4

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

4.1—स्वतंत्रता के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोलने के लिये जनता की मांग मुखरित हुई। स्वतंत्रता के पूर्व इस प्रदेश में केवल 442 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह संख्या 987 हो गयी जो वर्ष 1971–72 में बढ़कर 3,519 हो गयी। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ अध्यापकों और छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इसका अनुमान नीचे की तालिका से किया जा सकता है:—

तालिका

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि:—

वर्ष		1951	1956	1961	1966
स्कूल	..	987	1,474	1,771	2,501
अध्यापक	..	18,227	28,671	36,076	56,414
छात्र संख्या	..	4,17,405	6,44,129	9,12,077	15,58,900

4.2—विनियम, पाठ्य-क्रम, पुस्तकें—विनियम 1972 की परीक्षा के लिये वाणिज्य वर्ग विषयों को और व्यापक तथा सुदृढ़ कर दिया गया है।

रचनात्मक वर्ग के निम्नांकित विषय वैज्ञानिक वर्ग में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं :—

(क) औद्योगिक रसायन।

(ख) कुलाल विज्ञान।

निम्नांकित विषय व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये प्रतिबंधित कर दिये गये हैं :—

(1) ग्रंथ-शिल्प,

(2) रंगाई तथा छपाई,

(3) धुलाई, रंगाई, बखिया तथा रफूगरी,

(4) कुलाल विज्ञान।

(ग) पुस्तकें--

(1) वर्ष 1970 में परिषद् की 1972 की परीक्षाओं के लिये अंग्रेजी, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान की नवीन पुस्तकें निर्धारित की गयीं। 1971 के अनुत्तीर्ण छात्रों को अंग्रेजी विषय की पुरानी पाठ्य-पुस्तकों से 1972 की परीक्षा में बैठने की सुविधा प्रदान कर दी गयी।

(2) पाठ्य-पुस्तकों में 1973 की परीक्षा के लिये कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। 1972 की पाठ्य-पुस्तकें 1973 में चलती रहेंगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद का सुदृढ़ीकरण एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षार्थियों की संख्या में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। वर्ष 1947-48 में परीक्षार्थियों की संख्या 56,910 थी। 1971 की परीक्षाओं में यह संख्या 8,65,552 हो गयी। 1972 की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की कुल संख्या लगभग 9,51,000 है। परिषद् के कार्यभार में वृद्धि हो जाने के कारण परिषद् के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पड़ी तथा फरवरी, 1972 से मेरठ में परिषद् उप कार्यालय की स्थापना की गई है जो मेरठ तथा आगरा मंडल के सभी जिलों की परीक्षा एवं मान्यता सम्बन्धी कार्य कर रहा है। मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित क्षत्रीय कार्यालय यथा समय खोले जाने का प्रस्ताव है।

लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय	बरेली, पर्वतीय, लखनऊ, फैजाबाद मंडलों के जिले।
इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय	इलाहाबाद, झांसी मंडलों के सभी जिले।
वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय	गोरखपुर, वाराणसी, मंडलों के सभी जिले।

4.3--प्रशिक्षण--इस स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रदेश में चार राजकीय तथा 6 अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। इनमें से एक राजकीय तथा एक अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय महिलाओं के लिये है। पुरुषों के अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी महिला अभ्यर्थियों का प्रवेश होता है। इसके अतिरिक्त राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में कुल निर्धारित प्रवेश स्थानों में से 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के प्रवेशार्थ निर्धारित हैं।

राजकीय केन्द्रीय पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ, प्रत्येक में अब 100 तथा राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में 120 वार्षिक स्थान हो गये हैं। राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, में 30 एल० टी० (विज्ञान) के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। सेवाकालीन एल० टी० एवं रिफ्रेशर कोर्स योजना जुलाई, 1971 से समाप्त की जा चुकी है। विज्ञान शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिये वर्ष 1964-65 में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में स्थापित किया गया। यह संस्थान आख्यागत वर्ष में भी प्रगतिशील रहा है।

वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज

प्रदेश में वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज के लिये विज्ञान के छात्रों की वैज्ञानिक शोध प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसके लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रतियोगियों के लिये एक-एक सौ रुपये नकद के 10 पुरस्कार तथा बी० एस-सी० या बी० ई० के प्रथम तथा द्वितीय

वर्ष के प्रतियोगियों के लिये दो दो सौ रुपये नकद के पुरस्कार निर्धारित हैं जो विज्ञान की किसी शाखा की सैद्धांतिक या व्यावहारिक उत्तम कृति जैसे आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के क्रियाशील माडेल, वैज्ञानिक विषयों पर मौलिक चिन्तन पर आधारित लेख, कीमती या दुर्लभ चीजों के सस्ते प्रतिमान, उच्चकोटि के तकनीकी विषयों की लोकप्रिय शैली में अभिव्यक्ति और निबन्ध, चार्ट माडेल आदि के द्वारा प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान को सुलभ बनाने वाली कृतियों पर दिये जाते हैं। समस्त लेख माडेल या चार्ट के विवरण हिन्दी में टंकित होते हैं। नकद पुरस्कार के अतिरिक्त विजेताओं को योग्यता के प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष जनवरी-फरवरी, में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। जनवरी-फरवरी, 1971 में इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत 17वीं वैज्ञानिक शोध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

4.4—(क) अध्यापक कल्याण कार्य—सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों को अन्तरिम सहायता प्रदान की गयी। इन अध्यापकों को महंगाई भत्ता उसी दर से दिया जा रहा है जो राजकीय कर्मचारियों के लिये स्वीकृत है। 1–4–71 से 8 रु० प्रतिमाह की दर से इनको अन्तरिम सहायता स्वीकृत की गयी। इसमें 1–10–71 एवं 1–8–72 से हुई वृद्धि भी दी गयी।

(ख) वेतन वितरण अधिनियम—जनवरी, 1971 में सहायता प्राप्त हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण के लिये अध्यादेश जारी किया गया था। इस अध्यादेश के कार्यान्वयन में जो त्रुटियां पायी गयीं उनको दूर करके अगस्त, 1971 में अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन वितरण का दायित्व अब शासन ने ले लिया है। इस अधिनियम से माध्यमिक शिक्षक संघ की वर्षों की मांग पूरी कर दी गयी और अध्यापकों में व्याप्त असंतोष दूर हो गया। इस अधिनियम से सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा की सुरक्षा तथा समय से वेतन वितरण की व्यवस्था कर दी गयी है। यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश के शिक्षा इतिहास में एक युगान्तरकारी पग है।

(ग) दक्षता पुरस्कार—अध्यापकों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने तथा अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार देने की नीति अपनाई गयी है। आख्यागत वर्ष में अध्यापकों को अपनी अर्हतायें बढ़ाने के लिये रु० 33,000 तथा अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार देने हेतु 38 अध्यापकों को रु० 23,800 की व्यवस्था की गयी है।

4.5—छात्रवृत्ति—शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वर्ष 1972–73 में 34,155 छात्रवृत्तियां तथा 16,117 आर्थिक सहायतायें देने के लिये 1,09,12,200 रुपये का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त बालक/बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु रु० 10,16,000 का अलग से बजट में प्राविधान है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को प्राइमरी से इंटर कक्षाओं तक 524 छात्रवृत्तियां तथा 2,016 पुस्तकीय सहायता तथा स्नातक स्तर पर 216 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने तथा उस पर 2,70,000 रुपये व्यय होने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों, बर्मा से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों, भारत की सुरक्षा में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कांस्टेबुलरी के जवानों, सामरिक क्षेत्रों में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु उपर्युक्त उल्लिखित 10,16,000 रुपये के व्यय का प्राविधान है।

सीमांत क्षेत्रों या युद्ध-ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू० पी० पी० ए० सी० जवानों, सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं से स्नातक स्तर तक छात्रवृत्तियां एवं पुस्तकीय सहायतायें प्रदान करने हेतु 20,000 रु० का बजट प्राविधान है।

इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज जवाहर लाल नेहरू यूनीवर्सिटी, नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले छात्रों को 2 छात्रवृत्तियां रु० 300 प्रतिमास के हिसाब से स्वीकृत करने तथा उस पर रु० 22,000 व्यय होने का प्राविधान है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार की योजनान्तर्गत 3,212 ऋण छात्रवृत्तियां बालक/बालिकाओं को स्वीकृत करने तथा उस पर रु० 64,95,000 व्यय किये जाने का प्राविधान किया गया है।

आयोजनागत—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस शीर्षक से जो छात्रवृत्तियां प्रदान की गयीं उनका विवरण नीचे दिया गया है:—

योजना संख्या एवं नाम	भौतिक लक्ष्य	1969–70 से 1971–72 तक उपलब्धि	1972–73 में उपलब्धि
710223–प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्र-वेतन।	75	45	15
710243–कक्षा 7-8 में अतिरिक्त मेरिट छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।	19505	1567	1567
710244–कक्षा 9-12 में अतिरिक्त मेरिट छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।	7009	231	582

4.6—पुस्तकालय—चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों में 166 अशासकीय तथा 110 राजकीय विद्यालयों को पुस्तकालयों के लिये अनुदान दिया गया। वर्ष 1972–73 में 77 विद्यालयों को पुस्तकालयों के लिये अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

4.7—खेल का मैदान—अशासकीय विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था हेतु चतुर्थ योजना के प्रथम 3 वर्षों में 38 विद्यालयों को अनुदान दिया गया। वर्ष 1972–73 में 13 विद्यालयों को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

4.8—विद्यालयों को दक्षता पुरस्कार—उत्तम अनुशासन तथा परीक्षाफल के लिये प्रदेश के विद्यालयों को दक्षता अनुदान दिया जाता है। चतुर्थ योजना के प्रथम तीन वर्षों में 180 विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1972–73 में 60 विद्यालयों को दक्षता अनुदान देने की व्यवस्था है।

4.9—1972–73 के अन्य अनुदान एवं प्रगति—8 नये राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 13 (बालकों का 1 और बालिकाओं के 12) राजकीय जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल के स्तर तक उच्चीकृत किये गये तथा 7 राजकीय हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत किया गया। 5 राजकीय कन्या विद्यालयों के लिये बस सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था है। 15 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सुदृढ़ीकरण किया गया। 35 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुधार किया गया तथा 18 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन के लिये सुविधायें प्रदान की गयीं।

सहायता न पाने वाले 250 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने की व्यवस्था है। अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु 53 सहायता-प्राप्त विद्यालयों को भवन एवं सज्जा के लिये अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। अशासकीय सहायता-प्राप्त 42 विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन की सुविधाओं में सुधार हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। अशासकीय सहायता प्राप्त 84 विद्यालयों को पुस्तकालयों के सुधार हेतु अनुदान देने की व्यवस्था है। 20 सह शिक्षा के विद्यालयों को बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये अनुदान स्वीकृत करने की व्यवस्था की गयी है। 6 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बस अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

अध्याय 5

उच्च शिक्षा

5.1—भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के समान उच्च शिक्षा की भी मांग बढ़ी। फलतः कालेजों तथा उनमें कार्य करने वाले अध्यापकों और छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वर्ष 71–72 में उत्तर प्रदेश में कुल 281 डिग्री कालेज, 11 विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के समकक्ष दो संस्थायें थीं। वर्ष 1972–73 में दो नये राजकीय डिग्री कालेज जखनी (वाराणसी) तथा जेहरी खाल (गढ़वाल) में खोले गये।

स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों की संख्या में हुई वृद्धि नीचे की तालिका से विदित हो जाती है :—

मद	1951	56	61	66	69	72
विश्वविद्यालय ..	6	6	9	9	11	11
कला डिग्री कालेज ..	13	23	70	74		
विज्ञान डिग्री कालेज ..	3	6	14	14	238	281
विज्ञान एवं कला डिग्री कालेज ..	24	36	44	95		

उच्च शिक्षा की छात्र संख्या में वृद्धि निम्नांकित तालिका से प्रदर्शित होती है:—

मद	1951	56	61	66	69
विश्वविद्यालय ..	20,776	27,418	33,818	45,836	56,790
कला डिग्री कालेज ..	5,786	8,813	12,269	14,127	
विज्ञान डिग्री कालेज ..	2,579	2,358	3,329	3,258	1,20,375
विज्ञान एवं डिग्री कालेज ..	21,433	39,431	47,104	77,173	

विश्वविद्यालय एवं डिग्री कालेजों के अध्यापकों की संख्या निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाती है:—

मद	1951	56	61	66	69
विश्वविद्यालय ..	1,272	1,445	2.248	3,031	3,126
कला डिग्री कालेज ..	..	..	..	925	
विज्ञान डिग्री कालेज	..	..	..	209	6,280
विज्ञान एवं कला ..	1,249	2,327	3,444	4,299	

उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु यथेष्ठ आर्थिक प्राविधान किया गया है। उच्च शिक्षा के विकास एवं उन्नयन हेतु वर्ष 1972–73 में जखनी (वाराणसी) एवं जेहरीखाल (गढ़वाल) में दो नये राजकीय डिग्री कालेज खोले गये तथा राजकीय डिग्री कालेज, कोटद्वार व पौड़ीगढ़वाल में बी० एस-सी० तथा राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल में समाज शास्त्र को स्नातक कक्षायें प्रारम्भ की गयीं। बिड़ला राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर (गढ़वाल) में एम० एस-सी० तथा बी० एड० की कक्षायें शुरू की गई। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय खोलने के लिये प्रारम्भिक व्यवस्था कर दी गयी है। आख्यागत वर्ष में 5 अशासकीय डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लाने का प्राविधान किया गया है। चतुर्थ योजना में डिग्री कालेजों का स्तर ऊंचा उठाने के लिये चुने हुए डिग्री कालेजों को योग्यता अनुदान देने की व्यवस्था है। आख्यागत वर्ष में 10 उपाधि महाविद्यालयों को योग्यता अनुदान देने का प्राविधान है। विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों को विकास अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष भी यह अनुदान स्वीकृत करने का प्राविधान है।

5.2—पाठ्य विषय, शिक्षा प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक—विगत दो दशकों में डिग्री कालेजों की संख्या में वृद्धि के साथ पाठ्य विषयों में नवीन विषयों का भी समावेश किया गया। अब समाज शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रबन्ध तथा व्यापार प्रशासन आदि नये विषय विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाते हैं। विश्व में ज्ञान की प्रगति के साथ विज्ञान संकाय में नये विषयों का अध्यापन प्रारम्भ किया गया है।

इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की, कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर तथा संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी अपने-अपने विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि के लिये शिक्षा प्रदान करते हैं। इनमें आधुनिक विषयों पर शोध कार्य भी किया जाता है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० टेक० तथा एम० एस-सी० बायोकेमेस्ट्री के पाठ्यक्रम वर्ष 1968–69 से प्रारम्भ किये गये। मेरठ विश्वविद्यालय में एम० फिल० के अध्यापन की व्यवस्था है।

राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल की एम० एस-सी० कक्षा में न्यूक्लियर फिजिक्स तथा छात्राओं के लिये संगीत का अध्यापन वर्ष 1967–68 से प्रारम्भ किया गया है। राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर वाराणसी में भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के शिक्षण की भी व्यवस्था कर दी गयी है। वर्ष 1971–72 में राजकीय डिग्री कालेज, श्रीनगर (गढ़वाल) में एम० ए० की तथा पिथौरागढ़ में एम० ए० तथा एम० एस-सी० की स्नातकोत्तर कक्षायें सुचारुरूप से चल रही हैं।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति में भी विगत दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गोरखपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय में सीमेस्टर प्रणाली से शिक्षा दी जाती है। मेरठ विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस प्रणाली से वे छात्र भी लाभ उठा सकते हैं जिनको विश्वविद्यालय में नाम लिखाकर घर से दूर रहकर पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती थी। विश्वविद्यालय से दूर रहने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति भी इस पाठ्यक्रम से लाभ उठाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से अध्यापन के लिये जनता की मांग कई वर्षों से हो रही थी। हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये उच्च स्तर की पाठ्यपुस्तकों के अभाव के कारण हिन्दी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य संभव नहीं हो रहा था। अतः विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन का मार्ग प्रशस्त करने के लिये विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों की रचना तथा अनुवाद हिन्दी में कराने की व्यवस्था हेतु हिन्दी ग्रन्थ अकादमी स्थापित की गयी है। विश्वविद्यालय की पाठ्य-पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये वर्ष 1969–70 में 7 लाख रुपये तथा 70–71 में 5 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। आख्यागत वर्ष में भी इस कार्य के लिये रु० 20,00,000 के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था है।

5.3—उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों को 1 अप्रैल, 1966 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नये वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं। शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते में भी वृद्धि कर दी गयी है।

5.4—स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र में भी उत्तरोत्तर विस्तार हुआ है। अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में छात्रों के कल्याण हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। छात्रों की समस्याओं तथा उनमें अनुशासन का स्तर उच्च रखने के लिये विश्वविद्यालय में डीन आफ स्टूडेन्ट वेलफेयर, छात्र कल्याण अधिष्ठाता के पद सृजित किये गये हैं। इन पदों पर अनुभवी एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किये जाते हैं।

विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां तथा ऋण वृत्तियां प्रदान की जाती हैं। निर्धन छात्रों की सुविधा के लिये पाठ्य-पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करने के विचार से अनुदान दिये जाते हैं। इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में सहकारी वाचनालय खोले गये हैं। सहकारी वाचनालय से पूरे सत्र के लिये पाठ्य पुस्तक देने के लिये व्यवस्था की जाती है।

विश्वविद्यालय के छात्रों को सेवायोजन संबंधी सूचना सुलभ करने के लिये छात्र सेवायोजन ब्यूरो स्थापित किये गये हैं।

विगत कई वर्षों से यूनियन के लिये छात्रों में गहरा असंतोष व्याप्त हो रहा है। छात्रों में सन् 1970 के उस अध्यादेश पर विशेष क्षोभ था जिसके अनुसार छात्र यूनियन की सदस्यता वैकल्पिक कर दी गयी थी। छात्र समाज के संगठन सम्बन्धी अधिकारों को ध्यान में रख कर शासन ने इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया है।

———

अध्याय 6

विविध

6.1—सामाजिक शिक्षा—प्रदेश में सामाजिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु 1938 ईस्वी में शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में स्थापित किया गया। यह विभाग समाज शिक्षा के क्षेत्र में गत 34 वर्षों से प्रयत्नशील है। प्रारम्भ में विभागीय प्रौढ़ पाठशालाएं चलाई गयीं और नव साक्षरों के लिये कुछ साहित्य भी प्रकाशित किया गया। ग्रामीण जनता में साक्षरता के प्रसार के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय भी स्थापित किये गये।

समाज शिक्षा के लिये चित्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विभाग में शैक्षिक चलचित्रों का भी निर्माण किया जाता है।

इस समय इस विभाग का कार्य 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

1—सामाजिक शिक्षा;

2—श्रव्य दृश्य शिक्षा।

1—सामाजिक शिक्षा—विभाग द्वारा 1,400 पुस्तकालय और 3,600 वाचनालय प्रदेश भर में खोले गये हैं। इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को निरन्तर पुस्तकें एवं पत्रिकायें भेजने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के कुछ व्यक्तिगत पुस्तकालयों को वार्षिक अनुदान देने के निमित्त प्रति वर्ष रु० 1,000 की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस विभाग के पास कई ऐसे वाहन हैं जिनसे राज्य के विभिन्न अंचलों में शैक्षिक एवं सामाजिक चलचित्रों का प्रदर्शन आयोजित किया जाता है।

शिक्षा प्रसार विभाग द्वारा नव साक्षरों के लिये साहित्य का निर्माण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मासिक पत्रिका (नव ज्योति) भी प्रकाशित की जाती है। नव साक्षरों के लिये अब तक कुल 64 पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं।

सामाजिक शिक्षा के निमित्त विभाग में 4 सचल दल हैं—

1—साक्षरता दल;

2—प्रदर्शनी दल ;

3—गोष्ठी दल ;

4—पुस्तकालय दल।

इस विभाग में एक चल चित्रालय भी है। इस विभाग के विभिन्न कार्यकलापों के निमित्त वर्ष 1972-73 में रु० 4,84,000 का प्राविधान किया गया है।

6.2—मनोविज्ञानशाला—मनोविज्ञानशाला का मुख्य कार्य निदेशन प्रदान करना है। प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निदेशन के लिये प्रमुख केन्द्र हैं। आवश्यकता पड़ने पर सामान्य जनता के लिए भी मनोवैज्ञानिक जांच तथा परामर्श की सुविधा दी जाती है। मनोविज्ञानशाला द्वारा उपयोगी प्रकाशन तथा शोध पत्रक भी तैयार किये गये हैं।

6.3—शिशु शिक्षा—प्रदेश में शिशु विद्यालय प्रायः निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। शासन द्वारा भी कुछ शिक्षा संस्थायें प्रयोगात्मक रूप से संचालित हो रही हैं। अशासकीय शिशु विद्यालयों को शासन द्वारा यथा सम्भव सहायता प्रदान की जाती है। असाहाय्यिक पूर्व प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान देने के लिये 52,000 रुपये तथा राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को खोलने के लिये 25,600 रुपये का प्राविधान है।

शिशु शिक्षा के लिये अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के निमित्त प्रदेश में दो राजकीय तथा तीन मान्यता प्राप्त शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं जिनमें दो वर्षीय सी०टी० नर्सरी पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रति वर्ष 144 अध्यापिकायें प्रशिक्षित की जाती हैं।

प्रदेश में शिशु शिक्षा की प्रगति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाती है—

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षकों की संख्या
1970-71	230	20,000	1,500

6.4—संस्कृत शिक्षा—प्रदेश में संस्कृत की शिक्षा के विकास के लिये विभाग द्वारा अनुदान में वृद्धि कर दी गयी है। संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षण का स्तर ऊंचा उठाने के लिये क्षेत्रीय सहायक निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ा दी गयी है। वर्ष 61-62 में सहायता प्राप्त पाठशालाओं की संख्या 635 थी जो वर्ष 1971-72 में बढ़ कर 818 हो गयी है। क्षेत्रीय सहायक निरीक्षकों की संख्या 54-55 में केवल 3 ही थी, वर्तमान समय में यह संख्या 10 हो गयी है। वर्ष 1971-72 में संस्कृत के अध्यापकों को अन्तरिम सहायता भी प्रदान की गयी है।

संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को वर्ष 70-71 में 1,37,360 रुपये तथा 71-72 में रु० 1,42,780 आयोजनेतर बजट से छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत किये गए। संस्कृत अध्ययन अथवा शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 70-71 में 78 विद्वानों को तथा वर्ष 1971-72 में 35 विद्वानों को आर्थिक सहायता दी गयी। वर्ष 71-72 में भवन एवं साज-सज्जा तथा पुस्तकालय हेतु 198 विद्यालयों को लगभग रु० 2,22,000 अनुदान दिया गया। वर्ष 72-73 में भी अनुदान देने की व्यवस्था है।

प्रदेश में संस्कृत की शिक्षा के सुप्रबन्ध तथा इसका स्तर ऊंचा उठाने के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) की नियुक्ति की गयी।

6.5—अरबी, फारसी शिक्षा—उत्तर प्रदेश में अरबी, फारसी के सहायता प्राप्त मदरसों की कुल संख्या 130 है। प्रदेश में इन मदरसों की देख रेख के लिये एक निरीक्षक हैं जो अरबी, फारसी की परीक्षाओं के रजिस्ट्रार हैं और पदेन रामपुर के मदरसा आलिया बोर्ड के मंत्री भी हैं। अरबी, फारसी मदरसों के निरीक्षक के साथ ये उर्दू माध्यम स्कूलों के भी निरीक्षक हैं।

6.6—आंग्ल भारतीय शिक्षा—उत्तर प्रदेश में 52 आंग्ल भाषा के विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में अध्ययन का माध्यम अंग्रेजी है। इनके पाठयक्रम में हिन्दी, संस्कृत तथा भारतीय इतिहास भी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाये जाते हैं। इनमें से कुछ विद्यालयों की परीक्षा, कौन्सिल फार इण्डियन स्कूल सार्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है। इनमें से कुछ विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है।

आंग्ल भारतीय विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण सेंट मेरीज कान्वेन्ट, इलाहाबाद से संलग्न प्रशिक्षण विद्यालय में होता है। नैनीताल का विद्यालय निरीक्षक इन विद्यालयों का भी निरीक्षक होता है।

6.7—अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद—यह संस्थान दिसम्बर, 56 में स्थापित किया गया है। वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश शासन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है।

इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर विशेष बल दिया जाता है। अंग्रेजी पढ़ाने की आधुनिक विधियों का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया जाता है। साथ ही अध्यापकों के अंग्रेजी ज्ञान के स्तर का उन्नयन भी किया जाता है। उच्चारण में सम्मिश्रित संशोधन द्वारा अंग्रेजी के स्तर को ऊंचा उठाना भी इसका लक्ष्य है।

इलाहाबाद के बाहर राजकीय संस्थाओं से आये हुए प्रशिक्षणार्थियों को रु० 60 छात्रवृत्ति दी जाती है। इस संस्थान में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के लिये उपयुक्त पुस्तकें लिखना तथा पढ़ाने के आधुनिक साधन तैयार करने का कार्य मुख्य रूप से होता है।

वर्ष 1972 तक लगभग 1,196 शिक्षकों ने डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त किया। संस्थान ने इस वर्ष निम्नलिखित शोध तथा प्रकाशन कार्य किया—

1—कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिये (Read and Learn) का परिमार्जन ;

2—बुलेटिन नं० 9 ;

3—माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों के लिये निर्देश पुस्तिका ;

4—पठन क्षमता कोष पर पुस्तक ;

5—हाई स्कूल की एक पुस्तक का अध्यापन के दृष्टिकोण से विश्लेषण;

6—आकाशवाणी, इलाहाबाद से प्रसार हेतु कक्षा 7 के लिये 28 पाठों की रचना; प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

6.9—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय लखनऊ—इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर रचनात्मक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

6.10—माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु सर्वेक्षण—शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिये सुल्तानपुर जिले में एक अग्रगामी परियोजना चलाई जा रही है। इस कार्य के लिये सह प्रोजेक्ट अफिसर तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी है। इस सर्वेक्षण का कार्य आलखागत वर्ष में प्रगतिशील है।

अध्याय 7

विभाग की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1—शासन ने पौढ़ी-गढ़वाल में उप शिक्षा निदेशक के मंडल की स्थापना की है। इस मंडल के अन्तर्गत गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी तथा टेहरी जनपद हैं।

7.2—उर्दू शिक्षा की समुचित देखरेख एवं उर्दू शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने हेतु शिक्षा निदेशालय में एक उप शिक्षा निदेशक (उर्दू माध्यम) अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त उर्दू एकेडेमी भी है जिसका कार्यालय लखनऊ में है। उर्दू की शिक्षा व्यवस्था की देख-रेख, साहित्य का निर्माण, पुस्तकालयों को अनुदान, लेखकों को सहायता देने का कार्य यही संस्था करती है।

7.3—भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश—यह उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था के विस्तार हेतु प्रचुर मात्रा में प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष रु० 1,20,000 आयोजनागत आय व्ययक में तथा आयोजनेतर आय व्ययक के अन्तर्गत रु० 70,000 का प्राविधान है।

7.4—हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद—इस संस्था के कार्य कलापों में विस्तार हेतु आयोजनेतर आय-व्ययक में रु० 35,000 तथा आयोजनागत आय व्ययक में रु० 15,000 अनुदान देने का प्राविधान है।

सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान, प्रदेश की जनहितकारी संस्थाओं को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

7.5—नगर क्षेत्र के चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान—इस वर्ष भी शहरी क्षेत्र से चुने हुए सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान देने के लिये आय-व्ययक में रु० 2,00,000 का प्राविधान है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान—प्रदेश के 27 सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान दिया जाता है तथा अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। उक्त संस्थाओं को इस वर्ष भी रु० 1,49,900 अनुदान देने का प्राविधान है। उर्दू पुस्तकालयों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है।

7.6—शिक्षक दिवस; राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान—राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता देने की व्यवस्था करना है जिनकी आर्थिक दशा दयनीय है। इस प्रतिष्ठान के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये एक सामान्य समिति गठित है। प्रदेशीय स्तर पर इस कार्य के लिये कार्यकारिणी समितियां भी हैं। इस राज्य में प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष राज्य शिक्षा मंत्री (प्राथमिक) तथा सचिव कोषाध्यक्ष शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश हैं। अब तक 1,483 अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

7.7—दक्षिणी भारतीय भाषायें—भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दक्षिणी भारतीय भाषाओं के शिक्षण की योजनान्तर्गत इस वर्ष आयोजनेतर बजट में

2,55,000 व्यय करने का प्राविधान है। मोती लाल मेमोरियल सोसाइटी लखनऊ में दक्षिणी भारतीय भाषाओं (तामिल तथा तेलगु) का उच्च अध्ययन चल रहा है। भारत सरकार तथा प्रदेशीय शासन द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता से कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं की कक्षायें जनवरी 1970 से चल रही हैं। परीक्षार्थियों का द्वितीय बच रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा संचालित 1972 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ।

7.8—बालाहार योजना—बालाहार योजना प्रदेश के 26 जिलों में चल रही है। इस योजना से लगभग 8,000 प्राइमरी विद्यालयों के लगभग 12.00 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये की मूल्य की खाद्य सामग्री "केयर" संस्था के माध्यम से विभाग को उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। योजना के संचालन तथा प्रशासन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार के शिक्षा विभागीय बजट से वहन किया जाता है।

वर्ष 1972–73 के आय व्ययक में इस योजना के लिये आयोजनागत आय-व्ययक में रु० 34,83,800 का प्राविधान है।

7.9—पाठ्य पुस्तक विभाग—

1—वर्ष 1972–1973 के राजकीय प्रकाशनों से राजस्व के रूप में लगभग 13 लाख रुपये की आय हुई।

2—राज्य के जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ 72–73 की राजकीय पाठ्यपुस्तकों हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी।

3—बी० टी० सी० परीक्षा के लिये विभाग द्वारा विभिन्न विषयों की 16 पुस्तकें स्वीकृत की गयीं।

4—शिक्षा के निरन्तर प्रयास तथा पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के क्षेत्र में वृद्धि के फलस्वरूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में पाठ्य पुस्तक अनुभाग का सुदृढ़ीकरण कर दिया गया है।

5—वर्ष 72–73 में उर्दू माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के लिये जू० हा० स्कूल कक्षाओं के लिये गणित, इतिहास, भूगोल तथा विज्ञान विषय की 15 पाठ्य-पुस्तकें उर्दू भाषा में अनुदित कराकर प्रचलित की गयीं। इसके अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना के अनुसार निम्नांकित हिन्दी की पुस्तकें विभाग द्वारा तैयार की गयीं —

1—विज्ञान-आओ करके सीखें –
भाग एक, कक्षा 3।
2—सामान्य हिन्दी—भाग 1, कक्षा 6।
3—जनरल अंग्रेजी—भाग 1, कक्षा 6।
4—संस्कृत सुबोध—भाग 1, कक्षा 6।

6—हिन्दी की उत्तम साहित्य की पुस्तकों का क्रय—उत्तम साहित्य के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के साहित्य के विकास की समुचित व्यवस्था की जाये जिससे लेखकों और प्रकाशकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। इस आधार पर नये हिन्दी साहित्य के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिये शासन ने काफी बड़ी संख्या में हिन्दी की पुस्तकें क्रय करने का निर्णय लिया है, तथा इस कार्य के लिये 1972–73 के आय-व्ययक में 10 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। इस प्राविधान से क्रय की गयी पुस्तकें प्रदेश के डिग्री कालेजों, इन्टर कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरित की जायेंगी।

अध्याय 8

1973–74 के कार्यक्रम की संक्षिप्त रूप-रेखा

8.1—प्रायमिक शिक्षा—ग्रामीण क्षेत्रोंमें 50 तथा नगर क्षेत्रों में 10 विद्यालय खोलने और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में 1,000 तथा नगर क्षेत्रों के विद्यालयों में 100 अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है । 100 स्वावलम्बी स्कूलों को एक मुश्त अनुदान, ग्रामीण क्षेत्रों के 50 स्कूल भवनों के सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों के भवन रहित 60 जूनियर बेसिक स्कूलों के भवन निर्माणार्थ, 20 अनुवर्ती कक्षायें खोलने, 100 स्कूल माताओं की नियुक्ति, 100 विद्यालयों में बालिकाओं के लिये पृथक् शौचालयों के निर्माण के लिये अनुदान देने का प्रस्ताव है ।

8.2—पूर्व माध्यमिक शिक्षा—ग्रामीण क्षेत्रों में 50(30 बालक एवं 20 बालिका)तथा नगर क्षेत्रों में 10 बालिका सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने और सहायता न पाने वाले 45 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव है । जिला परिषदों के सीनियर बेसिक स्कूलों में 370 तथा नगर पालिकाओं के सी० बे० स्कूलों में 27 अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी प्रस्तावित है । 75 विद्यालयों में सामान्य विज्ञान विषय के समावेश हेतु, 10 विद्यालयों की कृषि शिक्षा में सुधार हेतु, निर्धन छात्राओं के लिये 87 विद्यालयों को पाठ्य पुस्तक पुस्तकालयों की स्थापना हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव है । 15 अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षिकाओं की नियुक्ति करने का भी प्रस्ताव है ।

8. 3—माध्यमिक शिक्षा—3 राजकीय हाई स्कूलों का इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण करने तथा 50 अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों के सहायता प्राप्त 50 विद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देने का प्रस्ताव है । 87 विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक पुस्तकालय की व्यवस्था, 54 विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु, 5 बालिका विद्यालयों को बस के लिये, 17 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अतिरिक्त छात्र संख्या हेतु सुदृढ़ीकरण करने, 1 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान अध्यापन के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था, 42 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान अध्यापन की सुविधाओं में सुधार के लिये, 40 राजकीय तथा 84 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों के सुधार का प्रस्ताव है । सहायता प्राप्त 60 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान, 10 विद्यालयों को क्रीड़ास्थल की व्यवस्था हेतु, 5 राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था हेतु, बालकों के विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को विशेष सुविधा हेतु 20 विद्यालयों को अनुदान देने का प्रस्ताव है । 15 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को चुने हुए विद्यालयों में अध्ययन हेतु सहायता देने का प्रस्ताव है । जिला-बालिका विद्यालय निरीक्षिका के एक पद के सृजन, मंडलीय स्तर पर 5 विज्ञान प्रगति अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है ।

8. 4—विश्वविद्यालय शिक्षा—प्रदेश में 4 नये राजकीय डिग्री कालेज खोलने, विश्वविद्यालय एवं डिग्री कालेजों को विकास अनुदान, 5 उपाधि महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने का प्रस्ताव है । 10 उपाधि महाविद्यालयों को योग्यता अनुदान, 19 महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों की नियुक्ति हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव है ।

8. 5—अन्य शैक्षिक कार्यक्रम—शारीरिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, स्काउटिंग, खेलकूद आदि को उन्नत करने, हिन्दी, दक्षिणी भारतीय भाषाओं, उर्दू भाषा के प्रसार तथा प्राच्य भाषाओं, अन्य सार्वजनिक संस्थाओं एवं पुस्तकालयों को अनुदान देकर आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना प्रस्तावित है ।।

सारणी—1

शिक्षा के लिये निर्दिष्ट बजट

वर्ष			बालकों की शिक्षा के लिये बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिये बजट	शिक्षा के लिये सम्पूर्ण बजट
1			2	3	4
			रु०	रु०	रु०
1945–46	..	..	2,21,89,600	35,56,400	2,57,46,000
1950–51..	..	..	6,61,14,800	76,29,400	7,37,44,200
1955–56	..	..	9,30,63,300	89,53,200	10,20,16,500
1960–61 शिक्षा	..	..	12,17,33,000	1,18,23,200	13,35,56,200
1960–61 शिक्षा नियोजन	..	..	..	..	3,87,41,000
1965–66 शिक्षा	..	..	24,36,60,500	2,53,76,200	26,90,36,700
1965–66 शिक्षा नियोजन	..	..	14,42,21,200	2,13,46,000	16,55,67,200
1968–69 शिक्षा	..	..	46,30,92,200	5,35,93,100	51,66,85,300
1968–69 शिक्षा नियोजन	..	..	6,31,67,100	38,56,600	6,70,23,700
1971–72 शिक्षा	..	..	71,87,66,800	6,85,83,800	78,73,50,600
1971–72 शिक्षा नियोजन	..	..	11,54,39,200	88,68,700	12,43,07,900
1972–73 शिक्षा	..	..	87,36,25,900	6,91,98,300	94,28,24,200
1972–73 शिक्षा नियोजम	..	..	16,16,12,400	1,06,39,400	17,22,51,800

टिप्पणी—इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिये बजट में भी बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय सम्मिलित है ।

सारणी–2
शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिये बजट

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1971–72	1972–73
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
शिक्षा—							
1—प्रारम्भिक	90,78,200	3,32,18,200	4,24,73,600	5,69,27,000	10,30,06,400	34,57,91,700	35,73,61,700
2—माध्यमिक	82,06,700	1,65,95,000	2,35,46,400	3,36,10,200	6,53,67,800	22,40,34,000	22,78,64,500
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	30,17,300	47,77,100	89,47,700	1,13,62,000	1,91,07,100	4,57,40,700	4,83,68,900
4—ट्रेनिंग	..	5,99,400	9,14,900	9,83,400	13,96,900	30,27,600	29,49,300
5—अन्य	54,43,800	1,85,54,500	2,61,33,900	3,06,73,600	8,01,58,500	16,87,56,600	30,62,79,800
योग	2,57,46,000	7,37,44,200	10,20,16,500	13,35,56,200	26,90,36,700	78,73,50,600	94,28,24,200
शिक्षा नियोजन—							
1—प्रारम्भिक	..	..	..	2,54,76,900	6,75,47,200	6,60,01,100	10,05,48,100
2—माध्यमिक	..	..	..	63,67,000	3,20,95,900	1,64,81,100	1,77,26,500
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	..	..	..	41,17,000	1,47,51,200	1,36,62,700	1,30,98,700
4—ट्रेनिंग	..	..	..	13,06,000	75,21,200	7,20,500	13,81,200
5—अन्य	..	..	..	14,74,100	4,36,51,700	2,74,42,500	3,94,97,300
योग	..	..	..	3,87,41,000	16,55,67,200	12,43,07,900	17,22,51,800

सारणी—3

व्यय के स्रोत

वर्ष तथा स्रोत	1945-46	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1967-68
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
राजकीय निधि से ..	2,70,03,667	7,39,18,773	12,31,39,959	23,44,40,547	46,82,88,678	60,41,51,600
स्थानीय निकाय निधि से ..	71,06,972	1,85,36,569	2,10,74,826	2,76,41,516	4,24,19,854	4,26,50,423
विश्वविद्यालय निधि से ..	(क)	(क)	(क)	(क)	1,08,34,387	75,12,480
शुल्क से ..	1,60,37,418	3,99,80,104	7,24,00,440	9,12,94,133	14,30,38,133	17,69,62,533
प्राभृत एवं अन्य निधि से ..	1,00,07,180	3,08,42,455	3,70,68,823	4,36,27,313	5,70,28,689	6,70,91,802
योग ..	6,01,55,237	16,32,77,901	25,36,84,048	39,70,03,509	72,16,09,741	89,83,68,838

(क) इन वर्षों की धनराशि प्राभृत एवं अन्य निधि की धनराशि में सम्मिलित है।

सारणी–4

प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थायें सामान्य शिक्षा

		1945-46	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1968-69
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय	बालक ..	1,392	942	834	1,119	1,821	1,846
	बालिका ..	120	152	171	232	545	570
स्थानीय निकाय	बालक ..	14,153	27,879	28,745	34,418	47,903	48,917
	बालिका ..	1,280	2,444	2,726	4,968	11,020	11,609
विश्वविद्यालय	बालक ..	5	6	6	9	9	11
	बालिका ..	..	..	..	..	..	..
सहायता प्राप्त	बालक ..	5,245	3,072	2,765	3,198	4,059	4,858
	बालिका ..	706	508	478	558	726	822
असहायता प्राप्त	बालक ..	482	825	1,315	1,747	2,912	3,546
	बालिका ..	23	44	69	160	248	321
योग ..	बालक ..	21,277	32,724	33,665	40,491	56,704	59,178
	बालिका ..	2,129	3,148	3,444	5,908	12,539	13,322

टिप्पणी :—(1) वर्ष 1945-46 में व्यावसायिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं ।

(2) विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 1945-46, 1950-51, 1955-56 तथा 1960-61 में सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या सम्मिलित थी ।

सारणी–5

विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें (प्रथम तीन स्तर)

		1945-46	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71*	1971-72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लड़के)	सब ..	356	833	1,253	1,489	2,050	2,699	2,927
	ग्रामीण क्षेत्रों में	43	304	590	743	1,185	1,363	1,496
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लड़कियां)	सब ..	86	154	221	282	451	563	592
	ग्रामीण क्षेत्रों में	..	1	2	6	27	85	89
योग	सब ..	442	987	1,474	1,771	2,501	3,262	3,519
	ग्रामीण क्षेत्रों में	43	305	592	749	1,212	1,448	1,585
सीनियर बेसिक स्कूल (लड़के)	सब ..	1,202	2,386	3,128	3,674	4,945	6,636	6,862
	ग्रामीण क्षेत्रों में	734	1,854	2,661	3,025	4,242	5,573	5,757
सीनियर बेसिक स्कूल (लड़कियां)	सब ..	474	468	512	661	1,209	1,860	2,011
	ग्रामीण क्षेत्रों में	64	130	195	247	708	1,188	1,216
योग	सब ..	1,676	2,854	3,640	4,335	6,154	8,496	8,873
	ग्रामीण क्षेत्रों में	798	1,984	2,856	3,272	4,950	6,766	6,973

सारणी–5–(समाप्त)

		1945-46	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71*	1971-72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जूनियर बेसिक स्कूल (लड़के)	सब ..	17,545	29,459	29,202	35,156	49,443	50,419	50,655
	ग्रामीण क्षेत्रों में	15,167	22,106	26,503	31,656	45,360	46,359(क)	46,519
जूनियर बेसिक स्कूल (लड़कियां)	सब ..	1,472	2,520	2,696	4,927	10.800	11,534	11,655
	ग्रामीण क्षेत्रों में	904	1,604	1,897	3,646	8,895	9,376	9,503
योग ..	सब ..	19,017	31,979	31,898	40,083	60,243	61,953	62,310
	ग्रामीण क्षेत्रों में	16,071	23,710	28,400	35,302	54,255	55,735	56,022
नर्सरी स्कूल (लड़के) ..	सब ..	..	6	19	55	110	155	176
	ग्रामीण क्षेत्रों में	..	..	..	..	..	..	..
नर्सरी स्कूल (लड़कियां) ..	सब ..	..	..	7	18	43	75	90
	ग्रामीण क्षेत्रों में	..	..	..	..	..	..	..
योग ..	सब ..	..	6	26	73	153	230	266
	ग्रामीण क्षेत्रों में	..	..	..	..	..	..	..

*आंकड़े प्राविजनल हैं ।

(क) संशोधित ।

सारणी–6

विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें (अन्तिम दो स्तर)

		1945-46	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71*	1971-72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्वविद्यालय	लड़के ..	5	6	6	9	9(क)	11(क)	11(क)
	लड़कियां..	..	..	..	..	..	..	..
	योग ..	5	6	6	9	9	11	11
डिग्री कालेज	लड़के ..	10	34	57	108	147	193	208
	लड़कियां..	2	6	8	20	36	53	55
	योग	12	40	65	128	183	246	263

*आंकड़े प्राविजनल हैं।

(क) दो विश्वविद्यालय मानी गयी संस्थायें सम्मिलित नहीं हैं।

सारणी-7

संस्था के अनुसार छात्रों की संख्या

		1945-46	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-711*	1971-72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्वविद्यालय ..	लड़के ..	9,730(अ)	19,105	24,616	29,785	37,628	45,632	47,047
	लड़कियां ..	605(अ)	1,671	2,802	4,033	8,208	11,158	11,610
	योग ..	10,335(अ)	20,776	27,418	33,818	45,836	56,790	58,657
डिग्री कालेज ..	लड़के ..	16,843(ब)	27,294	45,725	58,959	74,295	92,259	1,16,760
	लड़कियां ..	1,585(ब)	2,504	4,874	8,743	20,263	28,116	31,707
	योग ..	18,428(ब)	29,798	50,599	67,702	94,558	1,20,375	1,48,467
उच्चतर माध्यमिक स्कूल ..	लड़के ..	1,56,133(व)	3,59,580	5,56,530	7,57,592	12,71,038	17,73,528	19,08,301
	लड़कियां ..	23,315(व)	57,825	87,599	1,54,485	2,87,862	4,62,969	5,18,461
	योग ..	1,79,448(व)	4,17,405	6,44,129	9,12,077	15,58,900	22,36,497	24,26,762

सीनियर बेसिक स्कूल	लड़के ..	1,50,583	2,78,339	3,55,266	4,46,139	7,88,905	10,36,544	11,20,906
	लड़कियां ..	81,498	69,798	71,759	1,03,688	1,94,945	3,73,140	4,36,282
	योग ..	2,32,081	3,48,137	4,27,025	5,49,827	9,83,850	14,09,684	15,57,188
जूनियर बेसिक स्कूल	लड़के ..	11,95,636	23,92,175	22,53,231	31,70,868	57,64,857	64,65,724	65,77,632
	लड़कियां ..	1,75,058	3,34,948	4,84,596	7,87,960	30,23,248	36,58,039	37,46,555
	योग ..	13,70,694	27,27,123	27,37,827	39,58,828	87,88,105	1,01,23,763	1,03,24,187
नर्सरी स्कूल	लड़के ..	..	644	1,507	4,486	11,882	18,673	19,193
	लड़कियां ..	..	162	991	3,068	7,745	10,327	10,607
	योग ..	..	806	2,498	7,554	19,627	29,000	29,800

(द) इन्टर कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हैं।

(अ) यह केवल विज्ञान और कला के विद्यार्थियों की संख्या है।

(ब) इन संस्थाओं में समस्त इन्टर कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

*आंकड़े प्राविजनल हैं।

×दो विश्वविद्यालय मानी हुई संस्थाओं की छात्र संख्या सम्मिलित नही हैं।

सारणी–8

संस्थानुसार अध्यापकों की संख्या

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1970–71*	1971–72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्वविद्यालय में +	पुरुष ..	839	1,201	1,331	2,089	2,797	3,579	3,667
	महिला..	56	71	114	159	234	313	329
	योग ..	895	1,272	1,445	2,248	3,031	3,892	3,996
डिग्री कालेजों में	पुरुष ..	411	1,175	2,155	3,113	4,640	5,927	6,119
	महिला..	37	74	172	331	793	1,124	1,156
	योग ..	448	1,249	2,327	3,444	5,433	7,051	7,275
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	पुरुष ..	7,398	15,453	24,541	30,222	45,717	66,351	66,551
	महिला..	1,417	2,774	4130	5,854	10,697	15,913	15,990
	योग ..	8,815	18,227	28,671	36,076	56,414	82,264	82,541

सीनियर बेसिक स्कूलों में ..	पुरुष ..	6,435	11,605	16,734	19,057	28,865	43,086	43,750
	महिला ..	3,426	2,900	3,262	4,202	7,002	10,667	10,874
	योग ..	9,861	14,505	19,996	23,259	35,867	53,753	54,624
जूनियर बेसिक स्कूलों में ..	पुरुष ..	38,376	65,110	70,641	87,340	1,44,659	1,76,282	1,79,967
	महिला ..	2,610	5,189	6,934	11,714	23,918	33,213	34,786
	योग	40,986	70,299	77,575	99,054	1,68,577	2,09,495	2,14,753
नर्सरी स्कूलों में ..	पुरुष ..	..	8	35	51	199	340	362
	महिला ..	..	14	149	348	723	1,160	1,210
	योग ..	..	22	184	399	922	1,500	1,572

* आंकड़े प्राविजनल हैं।

† विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या सम्मिलित नहीं है ।

सारणी–9

स्तरानुसार छात्रों की संख्या तथा अध्यापकों की संख्या

		1964–65	1965–66	1966–67	1967–68	1968–69
1	2	3	4	5	6	7
1—छात्रों की संख्या—						
प्री–प्राइमरी स्तर ..	योग ..	24,393	25,815	30,747	25,872	27,540
	बालिका ..	9,417	10,535	12,689	10,455	11,368
जूनियर बेसिक स्तर (कक्षा 1–5) ...	योग ..	81,13,761	90,17,914	95,79,995	99,15,153	1,01,70,669
	बालिका ..	26,47,447	31,39,237	34,00,569	35,72,497	37,27,453
सीनियर बेसिक स्तर (कक्षा 6–8) ..	योग ..	13,51,129	15,14,037	16,34,498	17,80,136	19,11,969
	बालिका ..	2,16,983	2,55,618	2,74,446	3,03,891	3,34,770
हाई/हायर सेकेन्ड्री स्तर (कक्षा 9–12) ..	योग ..	7,00,172	8,02,656	8,79,799	9,69,145	10,58,151
	बालिका ..	90,170	1,11,982	1,17,162	1,40,089	1,51,282
स्नातक स्तर ..	योग ..	60,354	74,232	81,632	94,936	1,24,327
	बालिका ..	12,593	17,127	19,833	22,018	27,355
स्नातकोत्तर ..	योग ..	18,051	19,755	21,186	25,099	29,188
	बालिका ..	3,578	4,210	4,840	6,040	7,094

2—अध्यापकों की संख्या :—						
प्री–प्राइमरी स्तर ..	योग ..	901	1,045	1,139	1,144	1,285
	महिला ..	677	833	847	845	973
जूनियर बेसिक स्तर .. (कक्षा 1–5)	योग ..	1,60,555	1,74,377	1,81,661	1,88,255	1,95,202
	महिला ..	25,061	26,841	28,421	30,017	31,830
सीनियर बेसिक स्तर .. (कक्षा 6–8)	योग ..	44,477	49,965	57,714	61,703	64,399
	महिला ..	7,929	8,677	10,491	11,361	11,822
हाई/हायर सेकेंड्री स्तर .. (कक्षा 9–12)	योग ..	33,285	36,730	39,946	43,300	46,063
	महिला ..	5,114	5,983	6,524	7,238	7,752
स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर..	योग ..	7,815	8,464	9,225	10,193	10,749
	महिला ..	855	1,027	1,147	1,322	1,441

(1) प्री-प्राइमरी स्तर स्कूलों में वर्ष 1964-65, 1965-66 व 1966-67 के आंकड़ों में इन संस्थाओं के वे छात्र भी सम्मिलित हैं जो कक्षा 1–5 मे पढ़ते थे जबकि 1967-68 व 1968-69 में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः 1964–65 से 1966–67 तथा 1967–68 व 1968–69 के आंकड़े विस्तार क्षेत्र भिन्न होने के कारण तुलनीय नहीं है ।

(2) हाई/हायर सेकेन्ड्री स्तर के छात्रों में डिग्री कालेजों से सम्बद्ध कक्षा 11 व 12 के छात्रों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

सारणी–10

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1970–71	1971–72	1972–73
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हाई स्कूल परीक्षा—								
लड़कों की शिक्षा संस्थायें ..	315	749	1,175	1,404	1,837	2,656	2,836	3,048
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें ..	56	130	197	257	354	541	560	587
योग ..	371	879	1,372	1,661	2,191	3,197	3,396	3,635
इण्टरमीडिएट परीक्षा—								
लड़कों की शिक्षा संस्थायें ..	113	334	652	786	1,002	1,468	1,567	1,631
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें ..	15	41	111	146	214	302	314	316
योग ..	128	375	763	934	1,216	1,770	1,881	1,947

सारणी–11 (अ)

हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

	1946	1951	1956	1961	1966	1969	1971	1972
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या—								
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,67,549	2,15,252	3,14,578	4,05,856	4,83,161	5,45,450
लड़कियां	,,	,,	16,488	22,620	41,826	68,170	81,477	78,942
योग ..	27,272	1,10,681	1,84,037	2,37,872	3,56,404	4,74,026	5,64,638	6,24,392
परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या—								
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,55,285	2,04,315	2,95,036	3,85,294	4,47,949	5,15,267
लड़कियां	,,	,,	14,301	21,526	38,605	65,079	74,824	70,786
योग ..	25,153	98,534	1,69,586	2,25,841	3,33,641	4,50,373	5,22,773	5,86,053
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या—								
लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	68,589	89,880	1,30,277	1,69,410	1,69,383	2,24,955
लड़कियां	,,	,,	8,528	13,860	25,187	43,892	49,262	48,568
योग ..	15,820	58,234	77,117	1,03,740	1,55,464	2,13,302	2,18,645	2,73,523

सारणी–11 (बी)
इन्टरमीडियेट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

	1946	1951	1956	1961	1966	1969	1971	1972
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इण्टरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत संख्या—								
लड़के ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	78,457	99,600	1,48,785	2,27,474	2,49,683	2,68,006
लड़कियां ..	"	"	9,344	13,745	27,912	42,392	51,221	56,750
योग ..	12,230	41,009	87,801	1,13,345	1,76,697	2,69,866	3,00,904	3,24,756
परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या—								
लड़के ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	69,858	89,542	1,29,269	2,06,854	2,23,786	2,41,790
लड़कियां ..	"	"	8,219	12,282	24,151	38,812	46,421	51,797
योग ..	10,458	34,464	78,077	1,01,824	1,53,420	2,45,666	2,70,207	2,93,587
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या—								
लड़के ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	36,376	35,645	54,381	1,01,781	1,04,665	1,25,531
लड़कियां ..	"	"	5,058	6,557	13,299	25,969	29,281	33,118
योग ..	6,804	20,523	41,434	42,202	67,680	1,27,750	1,33,946	1,58,649

सारणी–12

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69	1969–70*	1970–71*	1971–72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वीकृत पाठशालाएं ..	1,400	1,014	1,050	800	900	900	900	900
छात्र संख्या ..	34,093	39,901	42,092	43,600	48,805	48,600	51,245	51,350
सहायता प्राप्त पाठशालाएं ..	332	418	637	779	779	803	810	818
राज्य से प्राप्त सहायता (रु० में)	2,53,512	4,64,448	9,62,953	22,14,020	28,20,273	39,30,544	35,73,313 (ए)	43,47,881

* आंकड़े प्राविजनल हैं।

(ए) कमी का कारण आवर्तक अनुदान में कमी हुई है।

सारणी–13

अरबी मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता

	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69	1969–70*	1970–71*	1971–72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वीकृत मदरसे ..	86	89	104	124	125	146	146	146
छात्र संख्या ..	..	14,190	16,710	26,215	26,672	29,382	29,578	30,521
सहायता प्राप्त मदरसे ..	86	89	104	124	125	123	123	130
राज्य से प्राप्त सहायता (रु० में)	90,672	1,02,394	1,24,164	2,56,454	2,44,840	2,94,603	3,31,515	7,41,213

*आंकड़े प्राविजनल हैं।

सारणी–14

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (संख्या)

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69	1970–71 (×)	1971–72 (×)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ट्रेनिंग (एल० टी० स्तर)— (1 वर्ष)								
पुरुष ..	3	4	6	7	6	7	8	8
महिला ..	1	5	2	3	4	4	2	2
योग ..	4	9(ग)	8	10	10	11	10	10
विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग बी० एड० तथा एम० एड० पुरुष तथा महिला सम्मिलित	..	..	3	5	5	5	5	5
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें एल० टी० स्तर—								
पुरुष ..	..	8	10	28	36	41	44	48
महिला ..	..	1	2	2	6	6	7	8
योग ..	..	9	12	30	42	47	51	56

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69	1968–69 ×	1971–72 ×
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा अन्य सी० टी० स्तर की प्रशिक्षण संस्थायें—								
पुरुष ..	3	अनुपलब्ध	5	5	5	7	6	8
महिला ..	7	अनुपलब्ध	7	6	8	11	11	11
योग ..	10	अनुपलब्ध	12	11	13	18	17	19
जे० टी० सी० कालेज (2 वर्ष)—								
पुरुष ..	..	109	33	33	42	*	*	*
महिला ..	..	24	1	4	11	*	*	*
योग ..		133(ख)	34	37	53	*	*	*
नार्मल स्कूल (2 वर्ष)—								
पुरुष ..	44(ख)	अनुपलब्ध	45	95	121	*	*	*
महिला ..	26(ख)	अनुपलब्ध	16	22	42	*	*	*
योग ..	70	अनुपलब्ध	61	117	163	*	*	*

बी० टी० सी० (1 वर्ष)—

पुरुष	..	..	..	..	..	..	230	199	194
महिला	..	..	..	..	..	..	89	71	67
योग	..	..	..	..	..	..	319	270	261

(च) इस संख्या में 11 सेन्ट्रल ट्रेनिंग स्कूल और 21 ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिसमें 1 वर्ष का कोर्स था।

(य) इस संख्या में 9 ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिसमें 1 वर्ष का कोर्स था।

(ब) इनमें नार्मल स्कूल भी सम्मिलित हैं।

(ग) इसमें पी० टी० ट्रेनिंग कालेज सम्मिलित हैं।

(*) ये संस्थायें अब बी० टी० सी० में परिवर्तित हो गयी हैं।

(×) आंकड़े प्राविजनल हैं।

सारणी–15

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69*	1970–71*	1971–72*
1		2	3	4	5	6	7	8	9
ट्रेनिंग कालेज (एल०टी० स्तर)									
पुरुष	..	202	226	415	500	540	594	1,046	1,031
महिला	..	57	337	311	520	621	763	540	534
योग	..	259	563(ल)	726	1,020	1,161	1,357	1,586	1,565
विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग (बी०एड० तथा एम०एड०)									
पुरुष	..	..	312	257	356	272	442	486	495
महिला	..	—	107	127	144	354	279	429	432
योग	..	—	419	384	500	626	721	915	927
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें (एल०टी० स्तर)									
पुरुष	..	—	520	956	2,413	2,797	2,837	2,877	2,889
महिला	..	—	66	289	509	1,100	1,310	1,694	1,699
योग	..	—	586	1,245	2,922	3,907	4,147	4,571	4,588

जे० बी० टी० सी० कालेज आदि (दो वर्ष सी० टी० स्तर)								
पुरुष ..	210	अनुपलब्ध	315	597	361	299	460	227
महिला ..	148	अनुपलब्ध	252	254	344	537	616	440
योग ..	358	अनुपलब्ध	567	851	705	836	1,076	667
जे० टी० सी० कालेज (दो वर्ष)								
पुरुष ..	—	15,166	1,361	2,350	2,223	—	—	—
महिला ..	—	739	106	341	787	—	—	—
योग ..	—	15,805(ज)	1,467	2,691	3,010(क)		—	—
नार्मल स्कूल (दो वर्ष)								
पुरुष ..	1,410	अनुपलब्ध	3,773	9,569	16,205	—	—	—
महिला ..	639	अनुपलब्ध	567	1,311	4,210	—	—	—
योग ..	2,049(य)	अनुपलब्ध	4,340	10,880	20,415(ख)	—	—	—
बी० टी० सी० (एक वर्ष)								
पुरुष ..	—	—	—	—	—	17,946	23,896	22,789
महिला ..	—	—	—	—	—	6,589	5,741	7,027
योग ..	—	—	—	—	—	24,535	29,637	29,816

(ज) इनमें नार्मल स्कूल के छात्र भी सम्मिलित हैं।

(ल) इनमें सी० टी० के छात्र भी सम्मिलित हैं।

(य) इस संख्या में 552 लड़के तथा 171 लड़कियां बी० टी० सी० कोर्स की भी सम्मिलित हैं।

(*) आंकड़े प्राविजनल हैं।

(क) इस संख्या में जे० टी० सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित हैं।

(ख) इस संख्या में एच० टी० सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित हैं।

सारणी–16

प्रशिक्षण संस्थायें एवं सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें उत्तीर्ण होने वाले छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की संख्या

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69	1970–71*	1971–72*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एल० टी०, बी० टी० तथा बी० एड० (1 वर्ष)								
पुरुष ..	249	880	1,386	3,032	3,222	921(क)	848(क)	853(क)
महिला..	75	208	511	977	1,735	295(क)	448(क)	416(क)
योग ..	324	1,088	1,897	4,009	4,957	1,216(क)	1,296(क)	1,269(क)
एम० एड० (1 वर्ष)								
पुरुष ..	3	58	36	74	92	(–)	(–)	(–)
महिला..	1	25	42	42	66	(–)	(–)	(–)
योग ..	4	83	78	116	158	(–)	(–)	(–)
जे०बी०टी०सी० (दो वर्ष) (सी० टी० स्तर)								
पुरुष ..	99	32	167	110	94	278	224	226
महिला..	69	155	253	116	217	331	348	370
योग ..	168	187	420	226	311	609	572	596

जे० टी० सी० (2 वर्ष)								
पुरुष ..	—	994	949	999	1,592	54	5	24
महिला..	—	3	68	147	294	21	5	6
योग ..	—	997	1,047	1,146	1,886	75	10	30
एल०टी०सी० (दो वर्ष) तथा बी० टी०सी० (एक वर्ष)								
पुरुष ..	1,102	10,576	1,751	4,173	6,129	16,717	18,171	18,204
महिला..	349	636	294	547	1,553	3,570	3,744	4,309
योग ..	1,451(य)	11,212(र)	2,045	4,720	7,682	20,287	21,915	22,513

(क) केवल एल० टी० परीक्षा फल हैं।
(–) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
(*) आंकड़े प्राविजनल हैं।
(य) इस संख्या में 606 लड़के और लड़कियां भी बी०टी०सी० परीक्षा उत्तीर्ण सम्मिलित हैं।
(र) सचल विद्यालय के छात्राध्यापक भी सम्मिलित हैं। यह योजना बाद में बन्द हो गयी।

सारणी–17

31 मार्च, 1972 को जिलेवार विद्यालयों की संख्या (प्रथम तीन स्तर)

	हाई/हायर सेकेन्ड्री			सीनियर बेसिक स्कूल			जूनियर बेसिक स्कूल		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1—देहरादून ..	28	15	43	54	31	85	440	102	542
2—सहारनपुर ..	77	22	99	122	66	188	1,073	354	1,427
3—मुजफ्फरनगर ..	71	18	89	77	51	128	844	305	1,149
4—बुलन्दशहर ..	129	17	146	96	22	118	990	327	1,317
5—मेरठ ..	179	45	224	203	290	293	1,560	509	2,067
6—अलीगढ़ ..	92	17	109	198	26	224	1,107	295	1,402
7—मथुरा* ..	70	11	81	105	21	126	819	234	1,053
8—आगरा ..	83	28	111	237	77	314	1,030	248	1,278
9—मैनपुरी* ..	37	5	42	150	19	169	941	155	1,096
10—एटा ..	62	8	70	121	15	136	787	189	976

11—बरेली* ..	56	20	76	137	46	183	936	275	1211
12—बिजनौर* ..	46	9	55	90	19	109	798	214	1,012
13—बदायूं* ..	28	10	38	93	45	138	850	252	1,102
14—शाहजहांपुर ..	25	10	35	89	37	126	950	204	1,154
15—मुरादाबाद* ..	60	21	81	129	70	199	1,395	293	1,688
16—रामपुर* ..	12	6	18	37	7	44	477	117	594
17—पीलीभीत ..	12	3	15	55	16	71	481	134	615
18—फर्रुखाबाद* ..	51	13	64	179	30	209	801	196	997
19—इटावा* ..	55	6	61	160	58	218	805	160	965
20—कानपुर ..	89	31	120	211	120	331	1,417	414	1,831
21—फतेहपुर ..	48	4	52	108	51	159	634	167	801
22—इलाहाबाद ..	121	28	149	168	61	229	1,420	370	1,790
23—बांदा* ..	27	4	31	142	20	162	880	207	1,087
24—हमीरपुर ..	23	5	28	69	16	85	964	165	1,129
25—झांसी* ..	41	12	53	154	32	186	1,054	186	1,240

सारणी–17 (समाप्त)

जिलों के नाम		हाई/हायर सेकेन्ड्री स्कूल			सीनियर बेसिक स्कूल			जूनियर बेसिक स्कूल		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
26—जालौन*	..	38	7	45	99	27	126	681	146	827
27—वाराणसी	..	103	32	140	237	102	339	1,317	297	1,614
28—मिर्जापुर	..	40	5	45	112	18	130	1,011	179	1,190
29—जौनपुर	..	87	6	93	189	50	239	1,001	211	1,212
30—गाजीपुर	..	62	4	66	121	32	153	730	200	930
31—बलिया	..	72	4	76	151	25	176	967	224	1,191
32—लखनऊ	..	58	36	94	83	28	111	817	322	1,139
33—उन्नाव	..	31	3	34	133	28	161	950	142	1,092
34—राय बरेली	..	32	3	35	112	41	153	709	157	866
35—सीतापुर	..	26	6	32	190	45	935	950	220	1,170
36—हरदोई*	..	18	4	22	125	46	171	1,051	199	1,250
37—खीरी	..	21	4	25	68	33	101	965	152	1,117
38—प्रतापगढ़*	..	39	1	40	96	16	112	721	159	880
39—सुल्तानपुर*	..	32	2	34	148	49	197	1,146	257	1,403
0—बाराबंकी	..	21	2	23	130	21	151	994	271	1.265

41—गोण्डा	..	38	6	44	96	20	116	1,386	279	1,665
42—बहराइच	..	23	4	27	92	50	142	908	250	1,158
43—फैजाबाद	..	61	9	70	130	12	142	1,065	244	1,309
44—गोरखपुर	..	96	16	112	204	85	289	1,447	315	1,762
45—देवरिया	..	100	7	107	215	34	249	1,438	240	1,678
46—बस्ती	..	68	5	73	223	73	296	1,578	261	1,839
47—आजमगढ़	..	95	7	102	189	45	234	1,262	265	1,527
48—नैनीताल	..	31	13	44	91	25	116	684	97	781
49—अल्मोड़ा	..	55	5	60	117	9	126	934	109	1,043
50—टेहरी गढ़वाल	..	15	2	17	79	7	86	512	124	636
51—पौड़ी गढ़वाल	..	62	4	66	104	30	134	796	142	938
52—पिथौरागढ़*	..	23	5	28	62	5	67	411	67	478
53—चमोली	..	22	2	24	55	6	61	490	38	528
54—उत्तरकाशी	..	9	1	10	23	2	25	275	16	291
योग	..	2,905	573	3,478	6,858	2,010	8,868	50,649	11,655	62,304
आंग्ल भारतीय विद्यालय	..	22	19	41	4	1	5	6	..	6
महायोग	..	2,927	592	3,519	6,862	2,011	8,873	30,655	11,655	62,310

*इन जिलों के आंकड़े गत वर्ष के प्रकाशित आंकड़े हैं ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

भाग–2

(प्राविधिक शिक्षा)

1972-73

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश

कानपुर ।

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का विकास भारत सरकार की संस्तुतियों के अनुसार हो रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ प्राविधिक संस्थान डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की, चार डिग्री कालेज, 13 राजकीय बहुधन्धी संस्थायें, 15 सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थायें, 12 राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय तथा 6 अन्य विशिष्ट प्रशिक्षण देने वाले संस्थान हैं (संलग्नक–1) जिनमें केन्द्रीय वस्त्र उद्योग संस्थान, कानपुर एवं कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, सहारनपुर, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के उपरान्त प्रदेश में वार्षिक योजनाएं बनीं। इन योजनाओं में उद्योगों एवं निर्माण-कार्यों का विकास उस गति से नहीं बढ़ा जैसा अनुमानित था तथा इस कारण डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त छात्रों में कुछ बेरोजगारी आ गई। इन बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए शासन ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर के परम्परागत पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि न करने की नीति अपनाई। चौथी पंचवर्षीय योजना में मुख्य बल डाइवर्सीफाइड पाठ्यक्रमों में है। सिंचाई एवं विद्युत की योजनायें, सड़कों के निर्माण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्य निर्माण-कार्य के अतिरिक्त यांत्रिक यातायात में भारी तथा हलकी गाड़ियों के उपयोग के कारण डीजल तथा पेट्रोल इंजनों तथा मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जिसके लिए आटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुशल टेक्नीशियनों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से रेलवे, खाद्य उद्योग, एअर कंडीशनिंग तथा रेफ्रीजरेशनिंग की कार्यशालायें इत्यादि को एअर कंडीशनिंग तथा रेफ्रीजरेशन के तकनीशियनों की आवश्यकता है। रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा टेलीविजन का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रानिक्स में प्रशिक्षित कारीगरों की आवश्यकता बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हाई वे इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग इत्यादि में भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अनुभव की गई। वर्ष 1969–70 से वर्ष 1971–72 तक निम्नलिखित डाइवर्सीफाइड पाठ्यक्रम विभिन्न संस्थाओं में चालू किए गये हैं।

1969–70

1—एअर कंडीशनिंग एवं रेफ्रीजरेशन में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, एम० जी०, पोलीटेकनिक, हाथरस (प्रवेश क्षमता–10)।

2—इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम इलाहाबाद पोलीटेकनिक, इलाहाबाद (प्रवेश क्षमता–10)।

3—आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम राजकीय बहुधन्धी संस्था, लखनऊ (प्रवेश क्षमता–10) (बाद में यह पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया)।

1970–71

4—डिजाइन एवं ड्राफ्टिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इलाहाबाद पोलीटेकनिक, इलाहाबाद (प्रवेश क्षमता–10)।

5—सैन्डविच पद्धति पर चार वर्षीय केमिकल आपरेटर्स पाठ्यक्रम, राजकीय पोलीटेकनिक गोरखपुर (प्रवेश क्षमता–10)।

6—तीन वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा पाठ्यक्रम—इलाहाबाद (प्रवेश क्षमता–30)।

7—ग्लास एवं सेरेमिक टेक्नोलाजी में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम राजकीय पोलीटेकनिक कानपुर (प्रवेश क्षमता–10)।

8--आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम पी० एम० बी० पोलीटेकनिक, मथुरा (प्रवेश क्षमता-10) (बाद में यह पाठ्यक्रम बन्द कर दिया गया)।

1971-72

9--तीन वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम--राजकीय पोलीटेकनिक, कानपुर, के० एल० पोलीटेकनिक, रुड़की तथा लखनऊ पोलीटेकनिक, लखनऊ (प्रवेश क्षमता-30 प्रति संस्था)।

10--तीन वर्षीय डिप्लोमा इन आटोमोबाइल इंजीनियरिंग राजकीय बहुधन्धी संस्था, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, झांसी (प्रवेश क्षमता-30 प्रति संस्था)।

11--एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा रेफ्रीजरेशन एअर कंडीशनिंग, इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद (प्रवेश क्षमता-10)।

12--एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन फाउन्ड्री टेक्नोलाजी, राजकीय बहुधन्धी संस्था, मुरादाबाद (प्रवेश क्षमता-10)।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्ष में 532.350 लाख रु० की धनराशि उपलब्ध थी जिसमें वास्तविक व्यय 413.505 लाख रु० निम्न प्रकार से हुआ :--

क्रमांक	वर्ष				परिव्यय	वास्तविक व्यय (रु० लाखों में)
1	1969-70	..	..	..	180.000	152.213
2	1970-71	..	..	..	170.000	131.286
3	1971-72	..	..	..	182.350	130.006
			योग	..	532.350	413.505

वर्ष 1972-73 की प्रगति

वर्ष 1972-73 में डिग्री स्तर पर प्रवेश क्षमता 980 रही (संलग्नक-2) जिसमें कि कृषि इंजीनियरिंग की 50 सीटें सम्मिलित हैं। कोई नया पाठ्यक्रम चालू नहीं किया गया है। चालू वर्ष में बजट के अन्तर्गत जो योजनायें पहले से चल रही हैं उनको पूरा करने हेतु फैकल्टी विकास, स्टाफ क्वार्टर्स पर ध्यान दिया है।

डिप्लोमा स्तर की योजनायें जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गयी थीं तथा पूरी नहीं हो सकी हैं, उनके लिए बहुधन्धी संस्थानों के एकीकरण योजना के अन्तर्गत साज-सज्जा तथा भवन निर्माण हेतु प्राविधान किया गया है। परम्परागत पाठ्य क्रमों (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल) को उद्योगों के लिए उपयोगी बनाने हेतु उसमें प्रयोगात्मक मात्रा को बढ़ाया गया तथा इलेक्टिव विषयों का समावेश किया गया। पुनरीक्षित पाठ्यक्रम 1969-70 से चालू हुआ है जिसके लिए वर्ष 1972-73 में अतिरिक्त साज-सज्जा का प्राविधान किया गया। वर्ष 1972-73 में निम्नलिखित डाइवर्सीफाइ पाठ्यक्रम चालू किए गये हैं :--

1972-73

1--तीन वर्षीय आटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम पी०एम० बी० पोलीटेकनिक, मथुरा (प्रवेश क्षमता-30)।

2--3 वर्षीय सिमिक टेकनालाजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम--सेठ गंगा सागर जाटिया पोलीटेकनिक, खुर्जा (प्रवेश क्षमता-30)।

3—कास्ट्यूम डिजाइन तथा ड्रेस मेकिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम–राजकीय महिला बहुधन्धी संस्था, लखनऊ (प्रवेश क्षमता–30)।

4—कामर्शियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम—नैनीताल पोलीटेकनिक, नैनीताल (प्रवेश क्षमता–30)।

5— 3 वर्षीय इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा पाठ्यक्रम—राजकीय पोलीटेकनिक, झांसी (प्रवेश क्षमता–30)।

6—सैण्डविच पद्धति पर चार वर्षीय केमिकल आपरेटर्स पाठ्यक्रम–राजकीय बहुधन्धी संस्था, कानपुर (प्रवेश क्षमता–10)।

7—एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम–एअर कंडीशनिंग तथा रेफ्रीजरेशन राजकीय पोलीटेकनिक, बरेली तथा देवनागरी पोलीटेकनिक, मेरठ। (प्रति संस्थान प्रवेश क्षमता–10)।

वित्तीय वर्ष 1972–73 के निमित्त आयोजनागत परियोजना हेतु 160 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष की ऋण योजना के अन्तर्गत तेरह लाख रुपए का प्राविधान किया गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 1972 तक 9.174 लाख रुपए का व्यय हुआ। प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु दिसम्बर, 1972 तक 428 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 391 प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश की संस्थाओं से, 21 प्रार्थना-पत्र अन्य प्रदेशों की संस्थाओं से एवं 16 प्रार्थना-पत्र विदेशों में प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु हैं। इसमें क्रमशः 349, 9 व 10 प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किए गये।

उद्योगों से सम्पर्क स्थापित करने तथा छात्रों की रोजगार की समस्याओं को हल करने तथा उद्योगों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के संशोधन की संस्तुति हेतु उद्योग सम्पर्क परिषद् मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। जिसके प्राविधिक शिक्षा निदेशक 'सदस्य-सचिव' हैं।

संस्थाओं में कर्मचारियों के लिए आवास गृहों की कमी महसूस की गई। जो संस्थाएं शहर के बाहर या छोटे स्थानों में हैं वहां के कर्मचारी अकसर आवास की कठिनाई महसूस करते हैं। अतः वर्ष 1972-73 में आवास गृहों के लिए प्राविधान किया गया है। साथ ही साथ छात्रों की सुविधा जैसे कैन्टीन, डिस्पेंसरी, एन० सी० सी० ब्लाक, वाटर कूलर, साइकिल स्टैण्ड इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

संस्थाओं में प्रशिक्षण में उद्योग आधारित तथा अधिक उपयोगी बनाने हेतु इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद में वर्ष 1971–72 से ही एक ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर स्थापित किया गया। ऐसा ही एक सेन्टर वर्ष 1972–73 में चंदौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली तथा नैनीताल बहुधन्धी संस्था नैनीताल में स्थापित किया गया है तथा इसी प्रकार के ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर पांचवीं योजना में अन्य संस्थाओं में स्थापित करने का विचार है।

प्राविधिक शिक्षा की योजनाओं को बनाने तथा कार्यान्वित करने हेतु सबसे बड़ी कठिनाई इस बात की पड़ती है कि प्राविधिक शिक्षा तकनीशियनों के भविष्य की आवश्यकताओं का सही अनुमान नहीं मिल पाता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर इसके अध्ययन की सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय के अन्तर्गत एक मैन पावर प्लानिंग सेल के सृजन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने हेतु वर्ष 1972–73 में 28 शिक्षक टेकनिकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ में प्रशिक्षण हेतु प्रेषित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण हेतु चण्डीगढ़ तथा इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबाद में भेजा गया है।

वर्ष 1972–73 में डिग्री स्तर पर 980 की स्वीकृत प्रवेश क्षमता रखी गई थी किन्तु वास्तविक प्रवेश क्षमता 1,111 रही है। डिप्लोमा स्तर पर स्वीकृत प्रवेश क्षमता 6,180 थी पर 6,438 वास्तविक प्रवेश हुए। इसमें कुछ संस्थाओं के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

वर्ष 1972–73 से राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय जिनको कि बन्द कर दिया गया था जौनपुर के अतिरिक्त सभी पुनः चालू कर दिए गये हैं। इन संस्थाओं में भी प्रवेश उत्साहजनक हुए हैं। इन संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 720 है जिसके विपरीत 754 छात्रों ने प्रवेश लिया।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्य कर रही सम्पूर्ण संस्थाओं में 15 प्रतिशत छात्रों का पूर्ण शुल्क एवं 30 प्रतिशत छात्रों को अर्द्धशुल्क मुक्ति नियमानुसार दी जाती है।

बेरोजगार इंजीनियरों की समस्या के हल हेतु वित्तीय वर्ष 1972–73 से रुड़की विश्वविद्यालय में जल संसाधन के विकास हेतु हाईड्रोलाजी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। विश्वविद्यालय में एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की भी स्थापना की गयी है। इसी वर्ष से मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर की लगभग 200 एकड़ फालतू भूमि पर कृषि की योजना आरम्भ की गई, जिस पर प्रथम दो वर्षों में 6·19 लाख रुपया अनुमानित व्यय होगा। इस अवधि में एक ओर तो कालेज को लगभग 7 लाख रुपये की आय होगी और दूसरी ओर देश की खाद्य समस्या के हल में भी योगदान मिलेगा।

वर्ष 1973–74 के कार्यक्रम

वर्ष 1973–74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होगा। अतः अगले वर्ष अधिक बल चालू योजनाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया गया है। डिग्री स्तर पर वर्ष 1973–74 में बजट प्राविधान उन स्कीमों को पूरा करने हेतु किया गया है जो कि पहले से ही अनुमोदित हो चुकी हैं।

डिप्लोमा स्तर पर निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम को चलाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1973–74 के प्रस्तावित पाठ्यक्रम

1—तीन वर्षीय कृषि अभियन्ता पाठ्यक्रम—चन्दौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली (प्रवेश क्षमता-30)।

2—एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स एम० जी० पालीटेकनिक हाथरस में। (प्रवेश क्षमता–10)।

इलाहाबाद बहुधन्धी संस्था, इलाहाबादः—

3—तीन वर्षीय आटोमोबाइल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम (प्रवेश क्षमता–30)।

4—दो वर्षीय कार्मशियल प्रैक्टिस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (प्रवेश क्षमता–30)।

5—तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग (प्रवेश क्षमता –30)।

6—तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कांस्ट्रक्शन टेक्नोलाजी (प्रवेश क्षमता–30)।

7—तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इंस्ट्रूमेन्ट टेक्नोलाजी (प्रवेश क्षमता–30)।

8—एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम टेलीविजन इंजीनियरिंग (प्रवेश क्षमता–10)।

इसके अतिरिक्त लखनऊ बहुधन्धी संस्था लखनऊ तथा डी० एन० बहुधन्धी संस्था, मेरठ में ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर चलाने का प्रस्ताव है।

बहुधन्धी संस्थाओं में कर्मचारियों के आवास गृहों की कमी को देखते हुए उनके लिए पर्याप्त प्राविधान किया गया है।

छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु साइकिल स्टैण्ड, कैन्टीन, एन० सी० सी० ब्लाक, डिस्पेंसरी इत्यादि का निर्माण भी राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में प्रस्तावित है।

वर्ष 1973–74 में डिग्री स्तर पर 980 छात्र भर्ती करने का लक्ष्य है। डिप्लोमा स्तर पर 6,440 छात्रों को भर्ती करने का लक्ष्य था। परन्तु कुछ नये पाठ्यक्रम जो कि वर्ष 1973–74 के लिए प्रस्तावित थे मितव्ययता को देखते हुए स्थगित कर दिये गये हैं। अतः भर्ती का संशोधित लक्ष्य 6,260 हो जायेगा, जिसका कि विवरण संलग्नक–3 में दिया गया है।

वर्ष 1973–74 के लिए 175 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

संलग्नक–1

प्राविधिक संस्थानों की सूची

डिग्री स्तर की संस्थायें

1—रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।
2—इंजीनियरिंग कालेज, दयाल बाग, आगरा ।
3—मोती लाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद ।
4—मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर ।
5—पंत कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, पंतनगर ।
6—एच०बी०टी०आई०, कानपुर ।
7—राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर ।

डिप्लोमा स्तर की संस्थायें

1—राजकीय बहुधंधी संस्था, गोरखपुर ।
2—राजकीय बहुधंधी संस्था, झांसी ।
3—राजकीय बहुधंधी संस्था, बरेली ।
4—राजकीय बहुधंधी संस्था, कानपुर ।
5—राजकीय बहुधंधी संस्था, फैजाबाद ।
6—राजकीय बहुधंधी संस्था, आजमगढ़ ।
7—राजकीय बहुधंधी संस्था, मिर्जापुर ।
8—राजकीय बहुधंधी संस्था, मुरादाबाद ।
9—राजकीय बहुधंधी संस्था, गोण्डा ।
10—राजकीय बहुधंधी संस्था, बस्ती ।
11—राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
12—राजकीय बहुधंधी संस्था, श्रीनगर (गढ़वाल) ।
13—सेठ गंगा सागर जाटिया बहुधंधी संस्था, खुर्जा ।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थान

14—हैविट बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
15—लखनऊ बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
16—डी० के० बहुधंधी संस्था, बड़ौत ।
17—डी० एन० बहुधंधी संस्था, मेरठ ।
18—गांधी बहुधंधी संस्था, मुजफ्फरनगर ।
19—हंडिया बहुधंधी संस्था, हंडिया ।
20—इलाहाबाद बहुधंधी संस्था, इलाहाबाद ।
21—पी० एम० बी० बहुधंधी संस्था, मथुरा ।
22—एम० पी० बहुधंधी संस्था, गोरखपुर ।
23—के० एल० बहुधंधी संस्था, रुड़की ।
24—चंदौली बहुधंधी संस्था, चंदौली ।
25—एम० जी० बहुधंधी संस्था, हाथरस ।

26—टेक्नीकल कालेज, दयाल बाग, आगरा ।
27—टाउन बहुधंधी संस्था, बलिया ।
28—नैनीताल बहुधंधी संस्था, नैनीताल ।
29—राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्था, कानपुर ।
30—एन० आर० इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, इलाहाबाद ।
31—राजकीय चर्म संस्था, आगरा ।
32—राजकीय बालिका बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
33—राजकीय चर्म संस्था, कानपुर ।
34—स्कूल आफ पेपर टेक्नोलाजी, सहारनपुर ।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय

1—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर ।
2—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, बरेली ।
3—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, फैजाबाद ।
4—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, लखनऊ ।
5—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, मिर्जापुर ।
6—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, आजमगढ़ ।
7—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, इलाहाबाद ।
8—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गाजीपुर ।
9—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, झांसी ।
10—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गोण्डा ।
11—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, मुरादाबाद ।
12—राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, दौराला (मेरठ) ।

संलग्नक—2

डिग्री स्तर की संस्थाओं के नाम	1972–73 प्रवेश क्षमता
1—रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	300
2—इंजीनियरिंग कालेज दयाल बाग, आगरा	60
3—पंत कालेज आफ इंजीनियरिंग टेकनोलाजी	140
4—मोती लाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर	180
5—एच० बी० टी० आई०, कानपुर	180
6—राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग संस्थान, कानपुर	30
7—मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर	90
योग	980

संलग्नक—3

वर्ष 1973–74 में डिप्लोमा स्तर पर पाठ्यक्रमवार संस्थाओं में प्रवेश किये जाने का लक्ष्य

1—राजकीय बहुधंधी संस्थान, लखनऊ	प्रवेश क्षमता
नागरिक अभियंत्रण	90
विद्युत अभियंत्रण	105
यांत्रिक अभियंत्रण	105
आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	30
योग	330

2—राजकीय बहुधंधी संस्थान, गोरखपुर

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	90
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	105
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	105
केमिकल आपरेटर	..	..	..	..	10
आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	..	..	..	..	30
पोस्ट डिग्री—रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग			..	..	10
			योग	..	358

3—राजकीय बहुधंधी संस्थान बरेली

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	90
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	90
आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	..	..	..	..	30
पोस्ट डिप्लोमा—रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग			..	..	10
			योग	..	280

4—राजकीय बहुधंधी संस्थान, झांसी .. .. ..

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	90
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	90
आटोमोबाइल इंजीनियरिंग	..	..	..	..	30
इलेक्ट्रोनिक्स	..	..	..	..	30
			योग	..	300

5—राजकीय बहुधंधी संस्थान, कानपुर

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	120
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	120
केमिकल आपरेटर	..	..	..	..	10
इलेक्ट्रानिक्स	..	..	..	..	30
पोस्ट डिप्लोमा—इंस्ट्रूमेन्ट टेक्नोलाजी		..	..	..	10
			योग	..	350

6—राजकीय बहुधंधी संस्थान, फैजाबाद

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	30
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	75
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	75
			योग	..	180

7—राजकीय बहुधंधी संस्थान, मिर्जापुर

नागरिक अभियंत्रण	30
विद्युत् अभियंत्रण	70
यांत्रिक अभियंत्रण	75
पो० डि० —इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग	10
योग ..	190

8—सेठ गंगा सागर जाटिया पोली० खुर्जा

नागरिक अभियंत्रण	80
विद्युत् अभियंत्रण	60
यांत्रिक अभियंत्रण	60
सिरामिक्स टेक्नोलाजी	30
योग ..	218

9—राजकीय पोली० आजमगढ़

नागरिक अभियंत्रण	30
विद्युत् अभियंत्रण	75
यांत्रिक अभियंत्रण	75
योग ..	180

10—राजकीय बहुधंधी संस्थान, गोण्डा

नागरिक अभियंत्रण	30
विद्युत् अभियन्त्रण	45
यांत्रिक अभियन्त्रण	45
योग ..	120

11—राजकीय बहुधंधी संस्थान, बस्ती

नागरिक अभियंत्रण	30
विद्युत् अभियंत्रण	45
यांत्रिक अभियंत्रण	45
योग ..	120

12—राजकीय बहुधंधी संस्थान, मुरादाबाद

नागरिक अभियन्त्रण	80
विद्युत् अभियन्त्रण	90
यांत्रिक अभियन्त्रण	90
पोस्ट डिप्लोमा—फाउन्ड्री टेकनोलाजी	10
योग ..	250

13—राजकीय बहुधंधी संस्थान, श्रीनगर

नागरिक अभियंत्रण	15
विद्युत् अभियंत्रण	20
यांत्रिक अभियंत्रण	25
योग ..	60

14—एम० जी० पो० हाथरस

नागरिक अभियंत्रण	60
विद्युत् अभियंत्रण	60
यांत्रिक अभियंत्रण	60
पोस्ट डि०—रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कन्डीशनिंग	10
पोस्ट डि०—इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स	10
योग ..	200

15—पी० एम० वी०पोलीटेकनिक, मथुरा

नागरिक अभियंत्रण	60
विद्युत् अभियंत्रण	60
यांत्रिक अभियन्त्रण	60
आटोमोबाइल इंजी०	30
योग ..	210

16—हंडिया पोलीटेकनिक, हंडिया

नागरिक अभियंत्रण	30
विद्युत् अभियंत्रण	45
यांत्रिक	45
योग ..	120

17—चन्दौली पोलीटेकनिक, चन्दौली

नागरिक अभियंत्रण	30
विद्युत् अभियंत्रण	45
यांत्रिक अभियंत्रण	45
एग्रीकल्चरल इंजी०	30
योग ..	150

18—नैनीताल पोलीटेकनिक, नैनीताल

नागरिक अभियंत्रण	60
विद्युत् अभियंत्रण	60
यांत्रिक अभियंत्रण	60
कार्मशियल प्रैक्टिस	30
पोस्ट डिप्लोमा—हाई आल्टीट्यूड इंजी०	10
योग ..	220

19—के० एल० पोलीटेकनिक, रुड़की

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	90
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	90
इलेक्ट्रानिक्स	..	..	..	..	30
			योग	..	270

20—गांधी पोलीटेकनिक, मुजफ्फरनगर

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	30
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	45
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	45
			योग	..	120

21—डी० जे० पोलीटेकनिक, बड़ौत, (मेरठ)

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	30
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	45
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	45
			योग	..	120

22—डी० एन० पोलीटेकनिक, मेरठ

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	30
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	75
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	75
पोस्ट डिप्लोमा एण्ड रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग			..	..	10
			योग	..	190

23—इलाहाबाद पोलीटेकनिक, इलाहाबाद

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	90
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	120
इलेक्ट्रानिक्स ..	..	..	..	..	30
पो० डि०—इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रा०	..	..	..	..	10
,, रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग		..	..	..	10
,, डिजाइन एवं ड्राफ्टिंग		..	..	..	10
,, टेलीविजन	..	..	..	..	10

डिप्लोमा पाठ्यक्रम आटोमोबाइल	..	..	..	..	30
,, ,, कार्मशियल प्रैक्टिस		..	..	..	30
,, ,, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग		..	..	..	30
,, ,, कांस्ट्रक्शन टेक०		..	..	..	30
,, ,, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल		..	..	..	30
			योग	..	490

24—एम० पी० पोलीटेकनिक, गोरखपुर

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	30
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	45
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	45
			योग	..	120

25—टाउन पोलीटेकनिक, बलिया

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	30
विद्युत् अभियंत्रण ..	..	..	..	..	15
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	15
					60

26—लखनऊ पोलीटेकनिक, लखनऊ

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	90
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	90
इलेक्ट्रानिक्स	..	..	..	..	30
पो० डि० रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग		..	..	..	10
			योग	..	280

27—हेविट पोलीटेकनिक, लखनऊ

नागरिक अभियंत्रण	..	..	..	..	60
विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	120
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	120
			योग	..	300

28—टेकनिकल कालेज, दयाल बाग, आगरा

विद्युत् अभियंत्रण	..	..	..	..	55
यांत्रिक अभियंत्रण	..	..	..	..	55
आटोमोबाइल इंजी०	..	..	..	..	40
			योग	..	150

(अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम)

29—राजकीय केन्द्रीय सूती वस्त्र संस्था, कानपुर	
टेक्सटाइल टेक्नोलाजी	30
30—राजकीय चर्म संस्था, कानपुर	
लेदर टेक्नोलाजी	30
31—राजकीय चर्म संस्था, आगरा	
लेदर टेक्नोलाजी	30
32—एन० आर० प्रिंटिंग टेक्नोलाजी, इलाहाबाद	
प्रिंटिंग टेक्नोलाजी	60
33—स्कूल आफ पेपर टेक्नोलाजी, सहारनपुर	
पल्प टेक्नोलाजी (डि०) } पल्प टेक्नोलाजी (सटी०) }	100
34—राजकीय बालिका बहुधंधी संस्था, लखनऊ	
इलेक्ट्रानिक्स	30
कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मे०	30
स्टेनोग्राफी	30
योग ..	90
महायोग ..	6260

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 43 डी० ई०—1973—1,000–(मैग०)।